प्रथम / द्वितीय प्रति

lj y dekd - - - - - - - - - - - - - - - -

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय रायपुर

fufonk & nLrkost

¼yEch nwjh ifjogu dk;Z&lkekU;½

fufonk fnukad 06-04-2010

,y-vkj-Vh- ¼lkekU;½
o"kZ 2010&2011

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील
एल.आर.टी. (सामान्य) वर्ष 2010-2011

NRrhlx< LVV flfoy lIykbt dkikj'ku fy-

मुख्यालय, बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, रायपुर

yEch njh ifjogu dk;

@@ fo"k; lph @@

ifjf'k"V	fooj.k	i"B d-
—	निविदाकार का नाम, पता एवं निविदा जमा करने / खोलने की तिथि	**2**
—	उद्‌बोधन	**3-4**
1	निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं	**5-12**
2	संविदा को शासित करने वाले निविदा नियम एवं शर्ते	**13-24**
3.अ)	खाद्य पदार्थ/ शक्कर के बेस डिपो एवं उनसे संबद्ध केन्द्रों की सूची	**25-27**
4	निविदाकार का परिचय, संक्षिप्त विवरण	**28-29**
4.अ)	खाद्य पदार्थ/शक्कर/ नमक/दलहन/तिलहन/बारदाना, इत्यादि की निगम गोदाम (एस.डब्लू.सी.) से परिवहन कार्य की दरें	**30**
4.ब)	खाद्य पदार्थ/शक्कर/ नमक/दलहन/तिलहन/बारदाना, इत्यादि की भारतीय खाद्य निगम / सी.डब्लू.सी. से परिवहन कार्य की दरें	**31**
5	करार नमूना प्रति (प्रथम परिवहनकर्ता हेतु)	**32**
6	करार नमूना प्रति (द्वितीय परिवहनकर्ता हेतु)	**33**
—	परिवहन कार्य का क्रियान्वयन पत्रक	**34**
7	कार्य समाप्ति पश्चात घोषणा पत्र	**35**

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

ic/k lpkyd

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

लंबी दूरी परिवहन कार्य निविदा वर्ष 2010-2011
(सामान्य)

सरल क्रमांक..................

1.	परिवहनकर्ता का नाम एवं पता मोबाईल नं.	श्री / मेसर्स.. ....
2.	बेस डिपो का नाम	....
3.	निविदा फार्म का मूल्य	रू. 500.00 मात्र एवं वाणिज्यिक कर अतिरिक्त
4.	निविदा फार्म के मूल्य की प्राप्ति	मनी रसीद / डी.डी. नं. .... तारीख. ....
5.	निविदा जमा करने की तिथि	**दिनांक 06-04-2010 समय 1.00 बजे अपरान्ह**
6.	निविदा खोले जाने की तिथि	**दिनांक 06-04-2010 समय 2.00 बजे अपरान्ह**

टिप्पणी:-

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित तिथि का या बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है, प्रथम प्रति निविदाकार टेण्डर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्चयं के उपयोग हेतु रखी जावेगी ।
3. प्रमाणित किया जाता है, कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ क्रमांक **01** से 35 तक समाहित हैं ।
4. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट **www.cg.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क रू. 525.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से देय, टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी।
5. निविदा वर्ष में यदि किसी बेस डिपो के कार्य विशेष हेतु पुनः निविदा आमंत्रण की स्थिति बनती है, तो कार्य विशेष हेतु पूर्व में वर्ष अन्तर्गत भाग ले चुके निविदाकार को निविदा के मूल्य में रू. 200.00 की रियायत दी जावेगी ।

....
निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय ....
जारी करने की तारीख ....

उद्बोधन

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों (आवश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर से भी) में स्थित बेस डिपो, संग्रहण केन्द्रों, शक्कर कारखानों से सड़क द्वारा विभिन्न वितरण केन्द्रों एवं स्थानों तक खाद्यान्न / शक्कर / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना / खाद्य तेल आदि के लिए लंबी दूरी के परिवहन कार्य (एल.आर.टी.) के लिए परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 (अर्थात 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक) के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं ।

2. उल्लेखनीय है, कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है । कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/ शक्कर /नमक /दलहन / तिलहन /बारदाना आदि की खरीदी / वितरण / विक्रय सम्मिलित है ।

3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट-एक** में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, **परिशिष्ट-दो** में संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें तथा **परिशिष्ट-तीन(अ)** में छत्तीसगढ़ स्थित निगम के बेस डिपो / संग्रहण केन्द्रों, भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त अन्य क्रय व भंडारण केन्द्रों और उससे संबद्ध वितरण/जमा केन्द्रों का विवरण दिया गया है । **कार्य के हिसाब से परिवहन कार्य हेतु बेस डिपो को तीन श्रेणी (ए,बी,सी) में विभाजित किया गया है ।** इनके अतिरिक्त भी कार्पोरेशन की आवश्यकतानुसार अन्य किसी स्थान / वितरण केन्द्र, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी परिवहन लीड के अन्तर्गत स्वीकृत दर पर परिवहन का कार्य कराया जा सकेगा, इसके ठीक उल्टा **(वाईस वर्सा)** भी कार्य हो सकता है, जिसके लिए निविदाकार बाधित रहेंगे । **निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें)** *Hkkjrh; [kk| fuxe@lh-MCy-lh- ,o fuxe xknke ¼,l-MCy-lh-½ d Ld/k l lcf/kr ifjogu dk; gr* **निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट-चार (अ)** *,o pkj ¼c½* **में साफ-साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें ।**

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें । निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित बेस डिपो के जिला कार्यालय में अथवा निगम मुख्यालय रायपुर में अथवा निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख तक निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे । प्राप्त निविदायें उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उपरोक्तानुसार खोली जायेंगी । निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगा । किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा ।

वर्ष 2010-2011 की निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं--

(अ) निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुईं, तो कार्पोरेशन अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता है।

(ब) भविष्य में निगम के व्यवसाय में संभावित बढ़ोत्तरी को देखते हुए परिवहनकर्ता / निविदाकार निविदा के **परिशिष्ट-4** के **भाग अ** एवं भाग ब में दर्शित समस्त लीड्स हेतु अपनी दरें भरें ।

(स) निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज **(परिशिष्ठ -एक की कण्डिका- चार अनुसार)** अनिवार्य रूप से संलग्न करें । उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(द) <u>निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :-</u> **निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण** को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है । कृपया इसका विशेष ध्यान रखें । प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है ।

¼b½ *yıch njh ifjogu dk;l ¼lekU;½ cıl fMik lı lıcf/kr ftyı dı fuoklh fufonkdkj dk gh fn;k tkuk gıA vr% fufonk eı VDuhdy chM dı lkFk ftyı dı fuoklh iıek.k i= gır| ftyk iı'kklu }kjk ikf/kdr vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k iıek.k i= lıyXu djuk vfuok;l gkxkA*

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ठ एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें) प्रस्तुत करें ।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर

परिशिष्ट - एक

// निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें //

निविदाकार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ के सडक मार्ग द्वारा लंबी दूरी के परिवहन कार्य के संबंध में **परिशिष्ट-चार(अ)** ,o ¼c½ उद्‌बोधन व नीचे दिए गये निर्देशों एवं संलग्न नियमों व शर्तों **(परिशिष्ट - एक, दो एवं तीन - अ)** को भलीभांति पढ़ने और समझने के बाद ही निर्धारित फार्म **(परिशिष्ट-चार-अ** ,o c) में भरें, क्योंकि ये निर्देश, नियम तथा शर्तें भी निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित किए जाने वाली संविदा के भाग / अंग माने जायेंगे:-

1. निविदा फार्म भरने के पूर्व निविदाकार स्वतः निम्नानुसार सुनिश्चित कर लें :-

1.1 **निविदाकर्ता निविदा के साथ इसी परिशिष्ट-एक की कण्डिका (4) के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति संलग्न करें । यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी ।**

1.2 **निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारks से निविदा दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुईं, तो कार्पोरेशन** v iuh vkj l o/k fufonkdkjk dk dkl vkQj ndj nj Lohdr dj ldrk gA

1.3 आगामी वर्ष में निगम के व्यवसाय में संभावित बढ़ोत्तरी की संभावनाओं को देखते हुए परिवहनकर्ता आमंत्रित निविदाओं की समस्त लीड्स में दरें प्रस्तुत करें / भरें ।

1.4 निविदाकार / फर्म के नाम से निविदा दिनांक में कम से कम **श्रेणी-ए हेतु 05 (पांच), श्रेणी-बी हेतु 03 (तीन), एवं श्रेणी-सी हेतु 02 (दो) भारी माल वाहन (ट्रक) पंजीबद्ध हो** जो खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु उपयुक्त हो तथा जिसका उनके पास राष्ट्रीय / छत्तीसगढ़ का वैध परमिट हो तथा निविदा स्वीकृत होने पर उक्त वाहन अनुबंध अवधि तक लगातार निविदाकार के नाम पर छत्तीसगढ़ में पंजीबद्ध रहना अनिवार्य होगा।

1.5 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व बेस डिपो / वितरण केन्द्र / क्रय केन्द्रों / संग्रहण केन्द्रों की दूरी, सड़क की स्थिति एवं स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भलीभांति आश्वस्त हो लेना चाहिए । बाद में इस आधार पर स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । बेस डिपो / संभावित क्रय केन्द्रों एवं प्रत्येक संबद्ध वितरण केन्द्रों की सूची एवं दूरियां क्रमशः **परिशिष्ट-तीन(अ)** में दी गई है, इस सूची में आवश्यकतानुसार तर्कसंगत परिवर्तन किया जा सकेगा, जो अनुबंधित परिवहनकर्ता को स्वीकार एवं बंधनकारी होगा । परिवहनकर्ता इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत हो लेवें, कि कार्पोरेशन द्वारा सभी लीड्स की दरें आहुत की गई हैं और **परिशिष्ट तीन-अ** में बेस डिपो के संबद्ध वितरण केन्द्रों को दर्शाया गया है, जो परिवहनकर्ता के सुविधा / ज्ञान हेतु उपलब्ध है । कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह दी गई लीड्स में किसी भी स्थान / केन्द्र / लीड / लिंक सोसायटी के गोदाम या ऐसे निर्दिष्ट स्थान जहां जिला प्रबंधक / कार्पोरेशन का प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिवहनकर्ता को निर्देशित मात्रा का खाद्यान्न / शक्कर / बारदाना आदि समयावधि में परिवहन करना होगा, चाहे उक्त ऐसे स्थान किसी भी राजस्व जिले / संभाग / प्रदेश के बाहर प्रान्तों, अन्य प्रान्तों से प्रदेश के किसी क्षेत्र में आते हों । कार्पोरेशन को यह भी अधिकार है कि वह व्यवसायिक / प्रशासकीय या ऐसे कारण जिन्हें उपयुक्त मानता है के कारण किसी भी बेस डिपो से किसी भी केन्द्र को अनुबंध अवधि में किसी भी समय सम्बद्ध / हटाया / परिवर्तित कर सकेगा । इस हेतु दुरी / दर / अन्य प्रभावित करने वाले कारकों में शिथिलता देने या नही देने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा । कार्पोरेशन प्रबंध वितरण केन्द्रों / जमा केन्द्रों / संग्रहण स्थान / लीड / लिंक स्थानों पर न्यूनतम दर पर परिवहन कराने हेतु स्वतंत्र होगा, चाहे वह केन्द्र अन्य बेस डिपों से दूरी के मान से निकटस्थ ही क्यों न हो ।

परिशिष्ट - एक

1.6 जिस जिले का परिवहनकर्ता निवासी है उसी से संबंधित बेस डिपो में निविदा में भाग लेगा। परंतु बेस डिपो में कार्यालय न हो तो अपना संपर्क कार्यालय तथा प्रतिनिधि का नाम, पता, हैसियत एवं प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो देने का प्रावधान के साथ ही प्रतिनिधि नियुक्त करने की दशा में 50.00 रू. के स्टाम्प पेपर पर पावर आफ एटॉर्नी जारी करना होगा, जो नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए।

1.7 प्रत्येक बेस डिपों / क्रय केन्द्रों से संबद्ध वितरण केन्द्रों / जमा केन्द्रों तक लंबी दूरी आदि के परिवहन कार्य के लिये कार्पोरेशन द्वारा वैध द्वितीय न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता से निम्नांकित व्यवस्था अनुसार अनुबंध करा सकेगा ।

<u>व्यवस्था 1</u> सामान्यतः अधिकतम 30 प्रतिशत कार्य प्रथम न्यूनतम दरदाता की दर पर किया जा सकता है, इस हेतु द्वितीय न्यूनतम दरदाता को विधिवत आवेदन संबंधित जिला प्रबंधक को करना होगा, लेकिन उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय प्रबंधन द्वारा सम्पूर्ण स्थिति के आंकलन पश्चात लिया जावेगा, जो द्वितीय न्यनतम दरदाता को स्वीकार व बंधनकारी होगा । उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर निगम प्रबंधन आदेशानुसार द्वितीय न्यूनतम दरदाता का यह दायित्व भी रहेगा कि वह निगम का सम्पूर्ण आदेशित कार्य प्रथम न्यूनतम दरदाता की दर पर करें ।

<u>व्यवस्था 2</u> द्वितीय न्यूनतम दर पर आवश्यकतानुसर कार्पोरेशन प्रबंधन के विवेक पर द्वितीय परिवहनकर्ता के रूप में संविदा निष्पादित करायी जा सकती है । द्वितीय परिवहनकर्ता से प्रथम न्यूनतम परिवहकर्ता के निष्फल होने पर / प्रबंधन के विवेकानुसार / प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता की रिस्क एवं कास्ट पर कार्य करवाया जावेगा ।

1.8 परिशिष्ट - चार के बाबत ।

निविदाकार अपनी दरें परिशिष्ट - चार (अ) ,o pkj ¼c½ में दिये गये निविदा फार्म में निम्नानुसार भरें :-

भाग-(अ) **शक्कर / खाद्यान्न / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना आदि परिवहन कार्यो हेतु (सामान्य एल.आर.टी)**

स्थानीय कार्य की दरें प्रति मेट्रिक टन के मान से भरें । स्थानीय कार्य का अभिप्राय रेल्वे स्टेशन / भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपों / स्थानीय कृषि उपज मंडी आदि से सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से संबंधित / उसके कब्जे या किराये पर लिये या उपयोग में लाये जा रहे स्थानीय गोदामों तक खाद्यान्न / शक्कर / नमक / दलहन / बारदाना आदि पहुचाने के कार्य से है । रेल्वे स्टेशन / भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपों एवं अन्य संग्रहण केन्द्रो से विभिन्न वितरण केन्द्रों या निर्दिष्ट स्थानों पर खाद्य पदार्थो / **शक्कर/ नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना आ**दि पहुचाने / लाने के लिए प्रति मे0टन, प्रति किलोमीटर की दरें भरें । खाद्यान्न सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री भी परिवहन करना हो तो स्वीकृत दर पर कार्य करने हेतु परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा। वर्णित बेस डिपो से जो वितरण केन्द्र परिशिष्ट तीन-अ में संबंद्ध दर्शाये गए है, उन तक परिवहन कार्य का भुगतान इसी **परिशिष्ट तीन-(अ)** में बेस डिपों से उल्लेखित दूरी के अनुसार ही किया जावेगा । बेस डिपों से **परिशिष्ट-तीन(अ)** में वर्णित संबद्ध वितरण केन्द्रों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बाहर से / छत्तीसगढ़ के अन्दर अन्य स्थानों / वितरण केन्द्रों के लिए आवश्यकता पड़ने पर निविदाकार स्वीकृत दरों पर दूरी के अनुसार परिवहन कार्य करने हेतु बाध्य होंगे । इस स्थिति में दूरी का निर्धारण कार्यपालन यंत्री / अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग / भारतीय सर्वेक्षण विभाग या प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर न्यूनतम दूरी के अनुसार किया जाएगा, जो निविदाकार को बंधनकारी होगा ।

परिशिष्ट - एक

1.9 निविदा फार्म में भरी जाने वाली दरें समस्त लदाई / उतराई एवं अन्य कोई व्यय (यदि हो तो) सहित होगी। लदाई से तात्पर्य छल्ली से बोरा उठाना, तौल कांटे तक लाना, शत प्रतिशत तौलना एवं वाहन में लदाई करना अथवा छल्ली से बोरा उठाकर सीधे वाहन में लदाई करना व वाहन को वे-ब्रिज पर तौलना है । उतराई से तात्पर्य गंतव्य स्थान पर वाहन से बोरों को उतारना, तौल कांटे तक ले जाना / शत प्रतिशत तौलना / तौल कांटे से स्टेक तक बोरा ले जाना और बोरों को स्टेक में व्यवस्थित लगाना तथा वाहन को तौल कांटे पर तौल कर गोदाम में बोरे सीधे स्टेक में व्यवस्थित लगाना है । स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा । परिवहनकर्ता बेस डिपो/ प्रदाय केन्द्रों / गोदामों एवं रेल्वे स्टेशन इत्यादि पर हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा । परिवहनकर्ता स्कंध की लदाई / उतराई के दौरान बिखरे / फैले स्कंध को साफ कर / व्यवस्थित रूप से बिना किसी विवाद उत्पन्न किए गोदाम में संग्रहित करेगा अन्यथा निगम द्वारा उक्त कार्य स्वयं संपन्न कराने पर व्यय की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता के देयकों से कटौत्रा कर की जावेगी ।

1.10 निविदा में उल्लेखित दरें परिवहन अंतर्गत वस्तुओं के लिए शुद्ध वजन के लिए मानी जायेंगी । इसमें न तो बोरे /टिन/कारटून आदि पैकिंग सामग्री का वजन जोड़ा जायेगा और न ही उसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय होगा । वापिसी यात्रा के लिए नियत दूरी या गोदाम में लदान के स्थान या गोदाम तक वापसी या वे-ब्रिज तक आने-जाने में तय की गई दूरी के लिए कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।

1.11 जिस बेस डिपो / केन्द्र की परिवहन दरें स्वीकृत नहीं हुआ हो परंतु परिवहन कार्य कराया जाना हो तो जिले के निकटतम केन्द्र जिनकी परिवहन दरें स्वीकृत हैं की दर पर अनुबंधित परिवहनकर्ता से कार्य कराया जा सकता है ।

1.11ए निविदा दस्तावेज में दर्शित बेस डिपो / संग्रहण केन्द्र के अंतर्गत नवीन स्थापित उपभंडारण केन्द्र में संग्रहित स्कंध के परिवहन के लिए संबद्ध निकटतम केन्द्र के परिवहनकर्ता की दरें लागू होंगी तथा परिवहन कार्य करने हेतु, परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा ।

1.12 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी स्वीकृति प्रदान की जावे । अतः ऐसे परिवहन दरों की स्वीकृति की जावेगी, जो कार्य योग्य दर हो । ऐसे निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जा सकता है जिसके विरूद्ध निविदाकार का कोई भी दावा मान्य योग्य नहीं होगा ।

1.13 परिवहनकर्ताओं के द्वारा पूर्व में किए गए परिवहन कार्य का आंकलन कर जिला स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा जिसकी कार्य रिपोर्ट विपरीत पाए जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.14 निविदा में प्रस्तुत परिव्हन दरों में सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा अधिरोपित सभी करों की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः निविदाकार दरें प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रस्तुत परिवहन देयक से सर्विस टेक्स एवं अधिरोपित करों की राशि का कटौत्रा कर संबंधित विभाग को भुगतान, निगम द्वारा चालान के माध्यम से किया जावेगा ।

1.15 निविदाकार / फर्म तथा प्रतिनिधि, राईस मिलर न हो ।

1.16 निविदाकार को बेस डिपो से संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म कैसे भरें :-

2.1 निविदाकार निविदा फार्म अविकल रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किए विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा ।

निविदाकार को अमानत राशि एवं वांछित दस्तावेज यथा वाहन के कागजात, अनुभव प्रमाणपत्र, इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम), तथा पैन कार्ड, फर्म / कंपनी के पंजीयन प्रमाण पत्र, जिले का निवासी प्रमाण पत्र अलग से मुहरबंद लिफाफे में रखकर (लेटरहेड या सादे कागज पर आवेदन में बेस डिपो के नाम सहित) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट - एक

निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क रू. 525.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से देय, टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी।

निविदा दस्तावेज (निविदा दर) अन्य सीलबंद लिफाफे में जिस पर प्राईज बीड (PRICE BID) पृथक से लिखकर प्रस्तुत करना होगा । ऐसे निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालीफाई नहीं किया गया है, उनकी प्राईज बीड नहीं खोली जायेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा ।

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले वांछित दस्तावेज को स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्तानुसार निविदाकार द्वारा प्रत्येक बेस डिपो हेतु टेक्नीकल बीड एवं प्राईज बीड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा । दोनों बीड के लिफाफे को एक बड़े लिफाफे पर बेस डिपो का नाम लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2.2 निविदा फार्म में दरें अंकों एवं शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ-साफ लिखी जानी चाहिए । कृपया निविदा फार्म में उपरिलेखन और कांट छांट न करें अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी ।

2.3 निविदा फार्म में परिवहनकर्ता अपेक्षित संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दें तथा प्रत्येक खाना भरें, जो कॉलम संबंधित नही हो उस पर (x) निशान लगायें ।

निविदा फार्म में इस तरह से दरें भरी जानी चाहिएः-

		एक फार्म में अधिकतम राजस्व जिले अन्तर्गत एक ही बेस डिपों हेतु दरें भरी जा सकेंगी ।	ई.एम.डी.
1.	**एल.आर.टी.सामान्य**	एक बेस डिपो	निर्दिष्ट व्यवस्था

उक्त व्यवस्था के अलावा, दरें भरते समय अलग-अलग निविदा फार्म व बयाने की रकम भरनी होगी ।

2.4 निविदाकार निविदा फार्म की **परिशिष्ट-चार भाग-(अ)** ,oa Hkkx ¼c½ पर अपनी दरें भरें । निविदाकार दूरी के अनुसार स्वीकृत दरों पर बेस डिपो क्षेत्र के अंतर्गत एवं बाहर के वितरण केन्द्रों (छत्तीसगढ़ के अन्दर / छत्तीसगढ़ के बाहर से केन्द्रों हेतु / प्रदेश के बाहर) तक परिवहन कार्य के लिए बाध्य होगा ।

परिशिष्ट - एक

3. बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) :-

3.1 प्रत्येक निविदा फार्म के साथ निम्न तालिका अनुसार ही बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) **जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, संबंधित जिले** के पक्ष में *पब्लिक सेक्टर बैंक* द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (स्थानीय होने की दशा में बैंकर्स चैक मान्य होगा) निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा । बयाने की राशि के अभाव में निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिए जमा किया जाना नहीं माना जायेगा ।

बयाने की रकम जमा करने बावत् तालिका :-

3.1.1 भाग (अ) एल.आर.टी.सामान्य (गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक) प्रत्येक बेस डिपो हेतु श्रेणीवार निम्नानुसार होगी -

श्रेणी-ए के परिवहन कार्य हेतु	-	**रूपये 2.00 लाख (रू. *nk* लाख मात्र)**
श्रेणी-बी के परिवहन कार्य हेतु	-	**रूपये 1.00 लाख (रू. *,d* लाख मात्र)**
श्रेणी-सी के परिवहन कार्य हेतु	-	**रूपये 0.50 लाख (रू. *ipkl gtkj* मात्र)**

3.2 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है या हटता है या अपने प्रस्ताव में और / या उसकी शर्तो तथा नियमों में कोई संशोधन करता है, तो बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त हो जायेगी अथवा / तथा जप्त मानी जायेगी । ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना कार्पोरेशन के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

3.3 निविदाकार द्वारा उसका निविदा स्वीकृत होने के बाद निर्धारित अवधि तक वांछित अभिलेख एवं निर्दिष्ट प्रतिभूति राशि जमा कर, अनुबंध करने में असफल होने की स्थिति में भी बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) संविदा एवं विधि के अधीन कार्पोरेशन के किसी भी अन्य अधिकारों एवं उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्पोरेशन के हित में जप्त हो जायेगी ।

3.4 बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) इसी परिशिष्ठ की कंडिका (3.2 व 3.3) को छोड़कर यथा संभव समस्त असफल निविदाकारों को निविदाओं पर विचार होने के बाद वापिस कर दी जायेगी । सफल निविदाकारों को उनके द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के बाद अपनी बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) प्रतिभूति राशि में समायोजित करने की इच्छा व्यक्त न की जाने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी । किसी भी स्थिति में बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

3.5 निविदा में न्यूनतम दरदाता द्वारा प्रस्तुत दर कार्य योग्य दर नहीं होने की दशा में न्यूनतम दर की जगह अन्य प्राप्त दर स्वीकृत किया जा सकेगा एवं न्यूनतम दरदाता निविदाकार की जमा अमानत राशि वापस की जावेगी ।

3.6 अगर किसी निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा बयाने की राशि उसके द्वारा अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है, तो परिवहनकर्ता / फर्म / फर्म के भागीदार जिस वित्तीय वर्ष के लिए निविदा विवादित हुई है उस वर्ष व आगामी दो वर्ष के लिए कार्पोरेशन की उस कार्य विशेष की आगामी निविदा / कोटेशन की प्रतिस्पर्धा में स्वयं या अन्य किसी फर्म में किसी भी हैसियत से शामिल होकर भाग नहीं ले सकेंगे और न ही किसी अनुबंधित परिवहनकर्ता के अधिकृत नियोजित व्यक्ति के रूप में कार्पोरेशन का कार्य कर सकेंगे ।

परिशिष्ट - एक

4. टेक्नीकल बीड के साथ अनिवार्यतः संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज / सहपत्र :-

निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति, स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत, नोटरी से सत्यापित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, **इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी** ।

4.1 **श्रेणी-ए के परिवहन कार्य हेतु 05 (पांच), श्रेणी-बी के परिवहन कार्य हेतु 03 (तीन), एवं श्रेणी-सी के परिवहन कार्य हेतु 02 (दो) भारी माल वाहन (ट्रक)** की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा माह मार्च/अप्रैल 2010 में जारी वाहन की विवरण (Vehicle Particuler's) की सत्यापित प्रति ।

4.2 *ych njh ifjogu dk; cl fMik ls lcf/kr ftys d fuoklh fufonkdkj dk gh fn;k tkuk g vr% fufonk d lkFk ftys d fuoklh iek.k i= gr ftyk i'kklu }kjk ikf/kdr vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k iek.k i= VDuhdy chM d lkFk lyXu djuk vfuok; gkxkA*

4.3 इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम) तथा पैन कार्ड की सत्यापित प्रति ।

4.4 फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) ।

4.5 फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुख्त्यारनामा (नोटरी द्वारा सत्यापित) ।

4.6 निर्धारित बयाने की राशि का प्रमाणक ।

5. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :-

5.1 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा / कर रहे व्यक्ति यह बतायेंगे कि वह या वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं अर्थात फर्म के पूर्ण स्वामी के रूप में या मर्यादित कंपनी के सचिव / प्रबंधक / संचालक आदि के रूप में । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म पर समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाये तथा निविदा फार्म पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे या उनके द्वारा विधिवत् बनाये गये मुख्त्यारनामा द्वारा समस्त भागीदारों को संविदा में संबोधित सभी मामलों में पंच निर्णय धारा सहित अद्यतन भागीदारी विलेख की मुख्य या एक प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाये । लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में संचालक के नाम का उल्लेख किया जाये तथा यह प्रमाणित किया जाये कि निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है । निविदा फार्म के साथ कंपनी के संयोजन के अंतर्नियमों तथा ज्ञापन की एक प्रति संलग्न की जाये । हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में परिवार के सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा तथा परिवार के मुखिया (कर्ता) जो फर्म को बाध्य कर सकता है, को निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए तथा हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत / स्थिति दर्शाई जानी चाहिए ।

5.2 फर्म की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से निविदा फार्म या किसी भी अन्य कागजात पर जो निविदा फार्म का हिस्सा हो, हस्ताक्षर कर रहा व्यक्ति उसके पक्ष में विधिवत् निष्पादित किया गया मुख्त्यारनामा यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, कि यह यथास्थिति अन्य ऐसे व्यक्ति या फर्म को पंच निर्णय धारा सहित संविदा से संबंधित समस्त मामलों में बाध्य करने का अधिकार रखता है । यदि निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा व्यक्ति मुख्त्यारनामा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका निविदा फार्म विधि के अधीन कार्पोरेशन के किसी अन्य दूसरे अधिकारों को बिना प्रभावित किए बिना किसी विचार के रद्द किया जा सकेगा । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में समस्त भागीदारों द्वारा मुख्त्यारनामा पर हस्ताक्षर किए जावेंगे । पूर्ण स्वामित्व होने वाली संस्था होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अपने हस्ताक्षर से कंपनी को बाध्य कर सकें । हिन्दू अविभाजित परिवार होने की स्थिति में मुखिया (कर्ता) द्वारा मुख्त्यारनामे पर हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अपने हस्ताक्षर से फर्म को बाध्य कर सकें ।

परिशिष्ट - एक

6. संविदा निष्पादित करना :-

6.1 कार्पोरेशन द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसे कार्पोरेशन की ओर से सूचना मिलने पर एक सप्ताह की अवधि में कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित संविदा **(परिशिष्ट-5/6)** पर रू. 100/- के मुद्रांक पत्र पर निम्न वांछित कागजात के साथ कार्पोरेशन के जिला कार्यालय में उपस्थित होकर निष्पादित करना अनिवार्य होगा । यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि अनुबंध हेतु निर्दिष्ट समयावधि में सफल निविदाकार को अनुबंध करना ही होगा चाहे कार्पोरेशन द्वारा कार्य तत्समय करवाया जाये या नहीं समयावधि में अनुबंध न होने पर कार्पोरेशन द्वितीय निविदाकार से कार्पोरेशन की स्वीकृत दरों पर अनुबंध हेतु पहल कर सकेगा तथा सफल प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता का अनुबंध का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा व अमानत राशि स्वमेव राजसात हो जायेगी।

(अ) **परिशिष्ट - एक** की कंडिका 4.1 के अनुसार वांछित प्रकार **श्रेणी-ए के परिवहन कार्य हेतु 05 (पांच), श्रेणी-बी के परिवहन कार्य हेतु 03 (तीन), एवं श्रेणी-सी के परिवहन कार्य हेतु 02 (दो) भारी माल वाहन (ट्रक)** की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा माह मार्च/अप्रैल 2010 में जारी वाहन की विवरण (Vehicle Particuler's) की सत्यापित प्रति ।

(ब) *ych njh ifjogu dk;l cl fMik l l lcf/kr ftyl dl fuoklh fufonkdkj dk gh fn;k tkuk gl vr% fufonk dl lkFk ftyl dl fuoklh iek.k i= grl ftyk il'kklu }kjk ikf/kdr vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k iek.k i=A*

(स) इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम) तथा पैन कार्ड की सत्यापित प्रति ।

(द) फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) ।

(इ) फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुख्त्यारनामा (नोटरी द्वारा सत्यापित)।

(फ) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा कराए गए पंजीयन की प्रमाणित प्रति।

6.2 संविदा निष्पादित करते समय निविदा फार्म के साथ जमा की गई बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) समायोजित की जा सकेगी ।

6.3 निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जायेगी। इसके लिए आवश्यक नही होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करे ।

6.4 परिवहनकर्ता कार्य संपादित करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो ऐसी स्थिति में रू. 50.00 के स्टाम्प पेपर पर पॉवर ऑफ एटॉर्नी जारी करना अनिवार्य होगा जो नोटरी से प्रमाणित होना आवश्यक है।

7. विविध :-

7.1 निविदा फार्म **(परिशिष्ट 3/4)** में वर्णित **भाग (अ)** ,o ¼c½ के कार्यों को एक ही परिवहनकर्ता अथवा अलग-अलग परिवहनकर्ताओं को दिया जा सकेगा । **भाग (अ)** ,o ¼c½ के कार्य एक से अधिक परिवहनकर्ता को दिए जा सकते हैं, इसमें निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

7.2 कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध के रहते हूए भी अनुबंधित कार्य हेतु अपनी स्वयं की परिवहन व्यवस्था / विभागीय रूप से भी कार्य करने पर भी विचार किया जा सकता है या ऐसे अन्य उपाय / परिवहन तंत्र / व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है, जो कार्य को निर्बाध और गति से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे, कि वह नियुक्त परिवहनकर्ता के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानान्तर व्यवस्था से कार्य करावे ।

परिशिष्ट - एक

7.3 जिले में स्थित ऐसे बेस डिपो जहां भारतीय खाद्य निगम एवं निगम का स्कंध / खाद्यान्न का भंडारण एक ही परिसर अथवा निकटतम परिसर में स्थित गोदामों में किया जाता हो वहां निगम के गोदामों से निगम के रिलीज / डिलेव्हरी आर्डर के विरूद्ध लीड संस्थाओं / उ.मू.दु. / जेल / अस्पताल एवं अन्य विभाग इत्यादि को सीधे स्कंध / खाद्यान्न के प्रदाय हेतु स्वतंत्र रहेगा इसी प्रकार ऐसे भी बेस डिपो जहां जिला प्रबंधक उचित समझता हो वहां भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लीड संस्थाओं / उ.मू.दु. / जेल / अस्पताल एवं अन्य विभाग इत्यादि को सीधे स्कंध / खाद्यान्न का प्रदाय निगम के डिलेव्हरी आर्डर के विरूद्ध करने हेतु स्वतंत्र होगा । इससे एक ओर समय बचत के साथ ही त्वरित रूप से उत्तम गुणवत्ता के खाद्यान्न की सीधी आपूर्ति जिलों में सुलभ / सुगम हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न के अपरक्षण में कमी होकर निगम को अनावश्यक परिवहन,स्टोरेज एवं हम्माली व्यय आदि वहन नहीं करना पड़ेगा । इसमें नियुक्त परिवहनकर्ता का कोई आपित्त/ क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी । इसमें किसी भी प्रकार से परिवहनकर्ता का हस्तक्षेप निगम मान्य नहीं करेगा,एवं इस कार्य में परिवहनकर्ता को पूर्ण सहयोग करना होगा ।

7.4 ***अनुबंध करने के पूर्व परिवहनकर्ता को निविदा में उल्लेखित समस्त वाहन पीले रंग से पुताई कराना होगा तथा जिसके दोनों ओर से काले रंग से बड़े अक्षरों में "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न, शक्कर, नमक" उल्लेखित होगा। वाहन के सामने एवं पीछे काले अक्षरों में "राज्य शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रयुक्त वाहन" लिखा होगा तथा जिले के कलेक्टर एवं जिला खाद्य कार्यालय का दूरभाष क्रमांक अंकित कराना होगा । इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों पर भी लागू किया जा सकता है जिसे मानने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा।***

7.5 निविदाकारों को निविदा में कोई शर्त शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी ।

7.6 *निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरांत कूटरचित / असत्य दस्तावेज पाए जाने की दशा में निविदाकार से किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा/अनुबंध के साथ जमा अमानत / जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जायेगी ।*

7.7 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तें, नियम व कार्य पद्धति, परिवहन की दूरियां आदि समझ ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

7.8 अ. *परिवहन में प्रयुक्त होने वाली वाहनों पर जी.पी.एस. (डिवाईस) लगाया जाएगा जिसकी राशि परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा ।*

ब. *परिवहनकर्ता से हुए अनुबंध अवधि के दौरान जी.पी.एस. (डिवाईस) के टूट-फूट होने पर सुधार/ मेन्टेनेंस का खर्च परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।*

स. *अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत यंत्र निगम में जमा कराना होगा । यंत्र चालू हालत में तथा सही स्थिति में निगम में जमा किए जाने पर ही यंत्र के मूल्य का 40% राशि कटौत्रा कर शेष 60% राशि परिवहनकर्ता को वापस की जाएगी ।*

द. *वाहन में लगे यंत्र का नियमित इंटरनेट द्वारा संचालन, सिम किराया इत्यादि की राशि परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा । इस हेतु प्रति डिवाईस प्रति माह 300/- (तीन सौ मात्र) परिवहनकर्ता के देयकों से वसूली की जावेगी ।*

इ. *परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन में डिवाईस लगा होना चाहिए, रास्ते में डिवाईस खराब होने की दशा में वाहन को रोक कर निगम के अधिकारियों को सूचित करते डिवाईस लगे दूसरे वाहन में स्कंध लोड कर परिवहन कराना होगा ।*

फ. *डिवाईस खराब होने की दशा में परिवहनकर्ता को तीन दिवस के भीतर सुधार करना होगा । अगर परिवहनकर्ता खराब डिवाईस को सुधार नहीं कराता है तो निगम द्वारा सुधार कराया जाकर खर्च की राशि परिवहनकर्ता के देयकों से कटौती कर ली जावेगी ।*

7.9 प्रबंध संचालक को यह भी अधिकार होगा कि वे विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कार्पोरेशन हित में निविदा नियमों / शर्तों के शिथिल कर सकते हैं।

7.10 किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का पूर्ण / आंशिक मान्य / अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा ।

परिशिष्ट - दो

// संविदा को शासित करने वाले निविदा, नियम व शर्तें //

1. परिभाषायें :-

1.1 शब्द **संविदा** अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ठ, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य एवं विशेष शर्तें भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जायें ।

1.2 शब्द **कार्पोरेशन / निगम** एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित **छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड** ।

1.3 शब्द **प्रबंध संचालक** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक, जिसके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत लंबी दूरी के परिवहन कार्य जिसमें संविदा संबंधित है, का निष्पादन होगा, इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे ।

1.4 शब्द **परिवहनकर्ता** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसके साथ परिवहन कार्य की संविदा की गई तथा इसमें यथास्थिति उनके वारिस / उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं ।

1.5 शब्द **गोदाम** से अभिप्रेत है, कार्पोरेशन से संबंधित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम या उसके कब्जे में होने वाला कोई भी गोदाम । इसमें स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन / सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन / मण्डी स्थित गोदाम, लीड / लिंक / उ.मू.दु. के गोदाम तथा कार्पोरेशन द्वारा किराये पर लिया गया या उपयोग में लाया गया गोदाम सम्मिलित होगा ।

1.6 शब्द **सेवाओं** से अभिप्रेत है, और इसमें सम्मिलित है, निविदा निर्देशों / शर्तों / नियमों में उल्लेखित कार्यो की मदों में से किसी मद का संपादन । इसमें ऐसे सहायक, अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्त्तव्य, सेवाएं और संकार्य भी शामिल है, जो जिला प्रबंधक या बेस डिपो / केन्द्र में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्शाये जायें ।

1.7 शब्द **भारी माल वाहन** से अभिप्रेत है, मशीन चलित वाहन (ट्रक) जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भारी माल वाहन के रूप में पंजीकृत हो तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु उपयुक्त हो । खाद्य पदार्थ से आशय खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दलहन, तिलहन आदि से है ।

1.8 शब्द **जिला प्रबंधक** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, में जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला प्रबंधक / प्रभारी जिला प्रबंधक जिसके प्रशासनिक क्षेत्र में वे बेस डिपो / संग्रहण केन्द्र आते है, जिनके कार्य के लिए परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया है ।

1.9 ***पब्लिक सेक्टर बैंक*** *के अंतर्गत समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सात सहयोगी बैंक तथा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं ।*

परिशिष्ट - दो

2. संविदा के उद्देश्य :-

परिवहनकर्ता को जब कभी आवश्यक हो तथा जैसा कि समय-समय पर जिला प्रबंधक द्वारा आदेश दिया जाये, परिवहन कार्य करेगा । साथ ही ऐसी अतिरिक्त सहायता एवं आकस्मिक कर्त्तव्य / सेवायें एवं संचालन देगा, जैसा कि उनके द्वारा दर्शाई जाती है, तथा जो इन नियमों एवं शर्तों से असंगत न हो ।

3. संविदा के पक्षकार :-

3.1 संविदा के पक्षकार परिवहनकर्ता एवं जिला प्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. है ।

3.2 वह व्यक्ति, जो निविदा फार्म या किसी अन्य कागजात पर जो निविदा फार्म का कोई भाग हो, किसी अन्य व्यक्ति या किसी फर्म की ओर से हस्ताक्षर करता है, तो उसे यह प्राधिकार समझा जावेगा कि वह संविदा से संबंधित मामलों में,यथास्थिति पंच निर्णय धारा सहित ऐसे अन्य व्यक्ति या फर्म को बाध्य करने का अधिकार रखता है । यदि जांच करने पर यह पाया जाता है, कि संबंधित व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है, तो कार्पोरेशन के द्वारा सिविल एवं दाण्डिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को समस्त खर्चों एवं हानियों के लिए उत्तरदायी माना जायेगा ।

4. संविदा की अवधि :-

4.1 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए परिवहन करने के लिए अनुबंध करना होगा ।

4.2 निष्पादित किए गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कार्पोरेशन चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य करने हेतु उसमें तीन माह की वृद्धि की जा सकेगी, इसे मानने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा ।

4.3 निविदा फार्म में भरी जाने वाली दरें निविदा खुलने के दिनांक से स्वीकृति के लिए 120 दिन तक वैध रहेंगी । तथा इसकी आगामी एक माह बढ़ाने का अधिकार कार्पोरेशन को रहेगा ।

5. कार्य की मात्रा :-

5.1 संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में कार्य देने की ग्यारंटी नहीं दी जा सकती है, तथापि संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय से लगभग अनुमानित मात्रा की जानकारी यदि परिवहनकर्ता चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है । जब जब परिवहन कार्य कराया जाना होगा, वह यथासंभव परिवहनकर्ता को सौंपा जायेगा । यदि कभी कोई कार्य नहीं हुआ अथवा कार्य की मात्रा कम या अधिक रही तो इसके लिए परिवहनकर्ता, कार्पोरेशन को या उसके विरूद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं मान्य नहीं होगा ।

5.2 संविदा में किसी भी कार्य की मद का उल्लेख कर देने मात्र से ही संविदाकार को यह मांग करनें का अधिकार नहीं मिल जायेगा, कि उन्हें उसका अथवा उससे संबंधित मद का कार्य अनिवार्य रूप से या एकमात्र रूप से सौंप दिया जावे ।

6. निविदाकार की संरचना :-

6.1 निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था है, या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी या कोई हिन्दू अविभाजित परिवार है । निविदा में भागीदार फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए । निविदाकार एक ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, जिसके हाथों में संविदा के दौरान संविदा से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सक्रिय प्रबंध रहेगा । इस व्यक्ति के नाम अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छाया चित्र, निविदाकारों द्वारा

जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किए जायेंगे । ऐसे मनोनीत किए गये व्यक्ति को यह समझा जायेगा कि उसे संविदा के संबंध में निविदाकार से विधिवत् मुख्त्यारनामा प्राप्त है और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिए बाध्य होंगे ।

6.2 निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान कार्पोरेशन की पूर्व अनुमति के बिना फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । निविदाकार अपने किसी साझेदार / संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में कार्पोरेशन को सूचित करेगा । यदि फर्म की संरचना में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तों के अनुसार अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एवं सोसायटीज़ छत्तीसगढ़ / मध्य प्रदेश द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के सात दिन के भीतर कार्पोरेशन को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी ।

6.3 जहां संविदाकार भागीदार फर्म है, कार्पोरेशन की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जायेगा । नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि वह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किए गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है ।

संविदा के पूर्ण होने के पूर्व संविदाकार फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु / सेवा निवृत होने पर कार्पोरेशन अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है तथा ऐसी दशा में संविदाकार फर्म को कार्पोरेशन के विरूद्ध किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा । फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत होने के बावजूद भी यह संविदा निरस्त नहीं की जाती है, तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्य के लिए उत्तरदायी होना तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके द्वारा कार्पोरेशन को पंजीकृत डाक से भागीदारी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती ।

6.4 निविदाकार की मृत्यु उपरांत भुगतान एवं समान शर्तों पर पृथक से अमानत/जमानत राशि देने पर नामांकित व्यक्ति को निविदा जारी रखना / निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

7. उप पट्टे पर देना :-

कार्पोरेशन का परिवहन कार्य अहस्तांतरणीय है । जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा । परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन कार्य अन्य परिवहनकर्ता को उप पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा । उप पट्टे पर कार्य दिए जाने प्रमाणित होने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर जमा अमानत / जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी ।

8. कार्मिक उत्तरदायित्व :-

8.1 लदाई, उतराई , तुलाई एवं छल्ली लगाने के लिए क्रमशः लदाई / उतराई करने वाले, तुलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों / कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा ।

8.2 परिवहनकर्ता को **संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम 1970** मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 एवं अन्य प्रभावशील तथा समय- समय पर प्रभावशील होने वाले संबंधित श्रमिक अधिनियमों के अधीन नियमानुसार अनुज्ञप्ति पत्र लेना आवश्यक होगा व यह पूर्ण रूपेण उसी की जवाबदारी मानी जावेगी ।

8.3 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेंगा एवं आवश्यक प्रपत्र / विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उदभुत हुए समस्त दायित्वों के लिये परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा ।

परिशिष्ट - दो

8.4 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा, कि वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों / कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधायें हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध कराये एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने की जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी । इस संबंध में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । साथ ही परिवहनकर्ता को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से पंजीयन कराना होगा।

8.5 लंबी दूरी परिवहनकर्ता रेल्वे से शक्कर रैक आने पर जिला प्रबंधक के आदेशानुसार रेल्वे स्टेशन से भी कार्पोरेशन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सीधे प्रदाय केन्द्रों तक शक्कर परिवहन हेतु बाध्य रहेंगे । साथ ही जिस भी परिवहनकर्ता की वजह से रैक से एल.आर.टी. परिवहनकर्ता द्वारा सीधे परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो उस डिफाल्टैड मात्रा पर रू0. 15/- प्रति क्विंटल (बोरा) की दर से शस्ति (पैनाल्टी) संबंधित जिला प्रबंधक के प्रस्ताव पर मुख्यालय द्वारा अधिरोपित की जायेगी ।

8.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं परिवहनकर्ता का होगा । श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा । *कर्मचारी / श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे । उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी श्रमिकों से संबंधित किसी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।*

8.8 यदि परिवहनकर्ता द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार कार्पोरेशन को वहन करना पडता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा ।

8.9 यदि परिवहनकर्ता के नियोजित श्रमिकों / कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की क्षति, विलम्ब अथवा गड़बडी की जाती है तो उससे हुये नुकसान की वसूली परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

8.10 यदि परिवहन कार्य के दौरान किसी स्थान पर उसके श्रमिकों / कर्मचारियों द्वारा वाहन खडी कराई, रस्सा कसाई, रास्ता बताई आदि नामों से कोई भुगतान किये जाते है, तो इस प्रकार के भुगतान व परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय-समय पर अधिरोपित जो भी देय हों, परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करने होंगे, कार्पोरेशन द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

8.11 राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवत कोई भी कर / दायित्व / अधिभार आदि लागू किये जाने की दशा में भुगतान की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । परिवहनकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किये जाने की दशा में देयकों से कटौती कर भुगतान किया जावेगा ।

9. परिवहन - कार्यक्रम अनुसार परिवहन कार्य न करने की दशा में :-

9.1 यदि कोई परिवहनकर्ता कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता एवं इस स्थिति में कार्पोरेशन को स्वयं के वाहनों से खाद्य पदार्थ / खाद्यान्न / शक्कर / बारदाना आदि का परिवहन कार्य करना पड़ता है तो ऐसा परिवहन कार्य निविदा को रदद किये बिना, कार्पोरेशन द्वारा कराया जा सकता है । यह कार्य नियुक्त परिवहनकर्ता की **जोखिम एवं खर्च** पर माना जायेगा तथा ऐसे परिवहन कार्य की दर स्वीकृति दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक जोड़कर आंकी जायेगी एवं अंतर की राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जायेगी ।

9.2 परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम अनुसार परिवहन कार्य संपादित नहीं किये जाने की दशा में विलंबित कार्य की मात्रा रूपये 10.00 (रूपये दस मात्र) प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी बतौर राशि वसूली की जा सकेगी । वसूली की कार्यवाही के संबंध में परिवहनकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । जिला प्रबंधक, द्वारा अग्रिम 90 प्रतिशत किये जाने वाले भुगतान से इसका कटौत्रा करेगा ।

परिशिष्ट - दो

9.3 परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार लगातार परिवहन कार्य में निराशाजनक / टालमटोल प्रदर्शन को उसकी परिवहन कार्य हेतु अयोग्यता मानी जाकर संबंधित परिवहनकर्ता को काली सूची में दर्ज कर भविष्य में आयोजित की जाने वाली निगम की उस कार्य विशेष हेतु परिवहन निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु दो वर्षो के लिये अनुपयुक्त / अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी । इस प्रकार से अनुपयुक्त् घोषित करने के पूर्व सात दिवस का कारण बताओं नोटिस दिया जायेगा और उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने अथवा कोई भी उत्तर प्राप्त न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा । यदि निविदाकार, परिवहनकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर / बिजीनेस एसोसिएट / स्टाफ / मजदूर के विषय में निगम प्रबंधन को विश्वास हो जाता है, कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा आचरण संदिग्ध है, तब निगम के सर्वोच्च छबि एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध तंत्र ऐसे निविदाकारों को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात अथवा कार्य स्वीकृत होने के दौरान निविदा / निविदा प्रकिया में भाग लेने से अथवा निविदा स्वीकृत होने की दशा में परिवहन कार्य करने से वंचित एवं कार्यच्युत कर सकेगा । इस सबंध में कार्पोरेशन का निणय अंतिम होगा । इस पर निगम की प्रतिष्ठा / छबि / कार्य कुशलता पर जो विपरीत असर पड़ा है, उसकी उपयुक्त रिकवरी निगम प्रबंध तंत्र ऐसे निविदाकर्ता / परिवहनकर्ता से वसूल कर सकेगा / करने का पात्र होगा ।

9.4 यदि कोई परिवहनकर्ता कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता है तो जिला प्रबंधक को अधिकार होगा, कि वह संविदा को बिना रदद किये स्वतंत्र रूप से अन्य परिवहनकर्ता/ छत्तीसगढ़ शासन के किसी निगम / संस्था से इस संविदा के अधीन अनुबंधित परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर परिवहन कार्यक्रम का नोटिस देने के तीन दिन बाद से अनुपातिक तौर पर स्वीकृत समान/अधिक दर पर परिवहन कार्य संपादित करा लें । इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति, हानि एवं खर्चो को स्वीकृत दर का 25 प्रतिशत या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित परिवहनकर्ता का होगा ।

9.5 अन्य अधिकारों एवं उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्पोरेशन को यह भी अधिकार होगा, कि वह जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकृत परिवहनकर्ता के कार्य में लगातार असफल रहने की स्थिति में अथवा निविदा के समय या तत्पश्चात अनुबंध / संविदा निष्पादन के दौरान या परिवहन कार्य के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा कोई असत्य, छलपूर्ण या अवास्तविक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में अथवा अनुबंध के किसी भी नियम, निर्देश या शर्त या शर्तो का परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त कर दे और / या अनुबंध की शेष अवधि के लिये परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्चे पर काम करवायें और / या प्रतिभूति राशि जप्त कर लें या उसका कोई भाग किसी क्षति हानि, शुल्क खर्च मूल्य जो कि कार्पोरेशन द्वारा परिवहनकर्ता की उपेक्षा या अनुबंध के अधीन कोई काम न करने के कारण वहन किये जाने वाली है या वहन की गई है, के कारण जप्त कर लें और / या इस कारण हुये नुकसान या खर्च किये धन को परिवहनकर्ता से वसूल कर लें । इसके अतिरिक्त परिवहनकर्ता को उस कार्य विशेष हेतु कार्पोरेशन की भावी निविदाओं में भविष्य में **दो** वर्ष के लिये उस कार्य विशेष हेतु कार्य करने / भाग लेने के लिये अनुपयुक्त एवं अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है ।

इस प्रकार से अनुपयुक्त घोषित करने के पूर्व सात दिवस का कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने अथवा कोई भी उत्तर प्राप्त न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

9.6 अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा कार्य न करने की दशा में निगम द्वारा समान दर पर ही क्रमशः प्राथमिकता क्रम में न्यूनता क्रम में वैद्य निविदादाताओं से कार्य कराया जा सकेगा एवं इन निविदादाताओं द्वारा कार्य न करने पर निगम किसी भी अन्य परिवहनकर्ता से समान दर पर परिवहन कार्य कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

परिशिष्ट - दो

9.7 *अनुबंध निष्पादन उपरांत परिवहन कार्य आदेश के विपरीत कार्य करना पाए जाने पर अथवा स्थानीय प्रशासन अथवा निगम प्रबंधन द्वारा परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की दशा में अनुबंध निरस्त किया जाकर अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जाएगी एवं काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है।*

10. प्रतिभूति राशि :-

जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे निर्धारित अवधि में निम्नानुसार प्रतिभूति की राशि जमा कर अनुबंध करना होगा :

10.1 प्रथम परिवहनकर्ता हेतु प्रतिभूति राशि

क्रं.	विवरण	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी
01	स्थानीय कार्य हेतु	रू. 1.00 लाख	रू. 1.00 लाख	रू. 0.50 लाख
02	प्रति संग्रहण केन्द्र परिशिष्ट-4 के भाग-अ में वर्णित कार्य अर्थात बेस डिपो से वितरण केन्द्रों पर परिवहन	रू. 2.00 लाख	रू. 1.00 लाख	रू. 0.50 लाख
03	अधिकतम राशि	रू. 10.00 लाख	रू.5.00 लाख	रू. 3.00 लाख

10.1.1 प्रतिभूति राशि 50 प्रतिशत जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड (संबंधित जिला) के पक्ष में किसी *पब्लिक सेक्टर बैंक* द्वारा जारी डिमांड ड्राफट से तथा शेष 50 प्रतिशत दो वर्षो की अवधि की किसी *पब्लिक सेक्टर बैंक* की बैंक गारंटी अथवा कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक के पक्ष में किसी *पब्लिक सेक्टर बैंक* की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) के रूप में जमा की जा सकती है अथवा संपूर्ण प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफट के माध्यम से भी जमा की जा सकती है ।

10.1.2 प्रतिभूति की राशि की गणना के लिए उन्हीं संबद्ध वितरण केन्द्रों को गिना जायेगा जो **परिशिष्ट तीन-(अ)** में वर्णित बेस डिपो से संबद्ध दर्शाये गए हैं और निविदाकार की स्वीकृत दर के अंतर्गत दूरी की सीमा में है । यदि किसी निविदाकार की स्वीकृत दर के अंतर्गत दूरी में कोई संबद्ध वितरण केन्द्र नहीं आता है तो उसे श्रेणी-ए हेतु रू. 2.00 लाख, श्रेणी-बी हेतु रू. 1.00 लाख एवं श्रेणी-सी हेतु रूपये 0.50 लाख प्रतिभूति जमाकर अनुबंध करना होगा । जो वितरण केन्द्र / स्थान वर्णित बेस डिपो से निविदा के परिशिष्ट तीन- अ में संबद्ध नहीं दर्शाये गये हैं, उन स्थानों / वितरण / लीड / लिंक / सोसायटी/ उ0मू0दु0 के गोदामों/संग्रहण केन्द्रों के लिये आवश्यकता पड़ने पर परिवहन कार्य परिवहनकर्ता को करना होगा, किन्तु ऐसे परिवहन कार्य हेतु पृथक से कोई प्रतिभूति की राशि परिवहनकर्ता से नहीं ली जावेगी ।

10.1.3 यदि निविदाकार, निविदा स्वीकृति की सूचना दिये जाने से निर्धारित अवधि के भीतर संविदा निष्पादित नहीं करे अथवा टालमटोल करता है, तो निविदा के साथ जमा बयाने की रकम (अर्नेस्टमनी) किसी भी सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वयं ही जप्त हो जायेगी । उसकी निविदा निरस्त मानी जावेगी तथा कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य निविदाकार की निविदा इस कार्य के लिये स्वीकार कर सके । सफल निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

10.1.4 प्रतिभूति राशि यह स्पष्ट समझ पर स्वीकार की जायेगी कि जो बैंक के निष्फल रहने या किसी अन्य कारण से घटित हो, तो समस्त देयता व क्षतिपूर्ति हेतु अनुबंधकर्ता पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट - दो

10.1.5 संविदा के समाप्त होने की स्थिति में कार्पोरेशन को परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को पूर्णतः या अंशतः जप्त करने या प्रतिभूति राशि या उसके किसी भाग को कार्पोरेशन द्वारा खर्च किये गये या किये जाने पर खर्च, कीमत शुल्क हानि, क्षति के लिये बकाया किसी धन में समायोजित करने का अधिकार होगा ।

10.1.6 क्षति/हानि शुल्क या कीमत या खर्चो के संबंध में कार्पो0का निर्णय अंतिम व परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा ।

10.1.7 प्रतिभूति राशि अपर्याप्त होने या प्रतिभूति राशि को पूर्णतः जप्त किये जाने की स्थिति में वसूली योग्य कुल राशि का बकाया परिवहनकर्ता का कार्पोरेशन के इस संविदा या किसी भी अन्य संविदा के अंतर्गत उस समय बकाया या उसके बाद किसी भी समय बकाया होने वाली राशि में से काट लिया जायेगा । यदि वसूली योग्य पूर्ण राशि को पूरा करने के लिये राशि फिर भी पर्याप्त नहीं होती है तो परिवहनकर्ता कार्पोरेशन को मांग की जाने पर शेष बकाया राशि का भुगतान करेगा अन्यथा किसी भी हैसियत से भावी निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुपयुक्त / अयोग्य घोषित माना जावेगा ।

10.1.8 जब कभी भी निर्दिष्ट राशि से प्रतिभूति राशि कम पडती हो तो परिवहनकर्ता इस कमी को तत्काल पूरा करेगा ताकि किसी भी समय प्रतिभूति राशि निर्धारित राशि से कम नहीं रहे ।

10.1.9 परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि सेवाओं के उचित एवं संतोषजनक पालन होने एवं संविदा के नियमों, निर्देशों एवं शर्तो पर परिशिष्ट-7 में आवेदन करने पर समस्त उत्तरदायित्व के परिवहनकर्ता द्वारा पूर्ण किये जाने पर इस शर्त पर वापिस की जायेगी, कि यदि संविदा के संबंध में परिवहनकर्ता के नाम कार्पोरेशन के खर्चे हो, तो उनको पूरा करने के लिये प्रतिभूति राशि से कटौती कर ली जायेगी ।

10.1.10 प्रतिभूति राशि जितने समय तक कार्पोरेशन के पास जमा रहती है । उतने समय के लिये कार्पोरेशन द्वारा प्रतिभूति जमा पर कोई व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

10.2 **<u>द्वितीय परिवहनकर्ता हेतु :</u>**

10.2.1 प्रथम एवं द्वितीय परिवहनकर्ता के बीच कार्य का अनुपात क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के लगभग रह सकता है । अतः ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि द्वितीय परिवहनकर्ता से प्रथम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से 50 प्रतिशत जमा कराई जायेगी ।

10.2.2 द्वितीय परिवहनकर्ता से, आपात स्थिति / प्रबंधन विवेकानुसार कार्य कराने के लिये, अनुबंध निष्पादित कराया जायेगा । इस हेतु द्वितीय परिवहनकर्ता को रूपये 1.00 लाख (एक लाख रूपये) सांकेतिक प्रतिभूति राशि, कार्पोरेशन में जमा रखना होगी । प्रबंधन के विवेकानुसार ऐसी स्थिति निर्मित होने पर जब द्वितीय परिवहनकर्ता से उसकी द्वितीय न्यूनतम दर पर परिवहन कार्य करवाया जावेगा । वह कार्य प्रथम परिवहनकर्ता की रिस्क एण्ड कास्ट पर ही होगा ।

<u>11. भुगतान :-</u>

11.1 प्रत्येक प्राधिकृत परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह के परिवहन कार्य के बिल अगले माह की पंद्रह तारीख तक जिला प्रबंधक को निर्धारित फार्म में आवश्यक प्रपत्र / कागजात (निर्धारित प्रारूप पर बिल/पावती/प्राप्त ट्रक चालान/तौल पत्रक/सामग्री का घटती-बढ़ती पत्रक हम्माली भुगतान पत्रक **ई.आर.पत्रक** एवं अन्य कागजात जो समय समय पर निर्धारित किये जायें) सहित प्रस्तुत करने होंगे । अपूर्ण बिलों के भुगतान में विलम्ब का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा एवं इसके लिए जिला प्रबंधक पृथक से देयक अपूर्णता बावत पत्र भेजकर परिवहनकर्ता को सूचित करने हेतु बाध्य नहीं होगा । अतः इसके आधार पर उसके द्वारा कार्य रोका नहीं जा सकेगा। परिवहन देयकों को माह समाप्ति के बाद अधिकतम 2 माह में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, इस अवधि के बाद क्लेम स्वीकार नहीं होगा ।

परिवहनकर्ता प्रत्येक कलेण्डर माह के परिवहन कार्य के लिए भुगतान हेतु अधिकतम दो बार पाक्षिक रूप से देयक प्रस्तुत कर सकेगा ।

परिशिष्ट - दो

11.2 परिवहनकर्ता अपने देयक सभी निर्धारित प्रपत्रों एवं आवश्यक जानकारी सहित जिला कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करेगा जिससे उनके बिलों का नियमानुसार परीक्षण कर 90 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान देयक प्राप्ति से सात कार्य दिवस में जिला प्रबंधक द्वारा सुगमता से किया जा सके । यह 90 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कटौतियों के बाद किया जायेगा और यह ध्यान में रखा जाए कि परिवहनकर्ता की ओर से शेष राशि से अधिक वसूली तो नहीं निकलती है । तत्पश्चात शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कटौती उपरांत पच्चीस कार्य दिवस के भीतर परीक्षणोपरान्त कर दिया जाएगा । अगर वर्णित देयकों में नियमानुसार कोई अपूर्णता या औपचारिकता शेष रहती है तो वर्णित समयावधि में संबंधित परिवहनकर्ता को जिला प्रबंधक द्वारा एक ही बार में अवगत करा दिया जाएगा।

11.3 वर्णित बेस डिपो से जो वितरण केन्द्र **परिशिष्ट-तीन-(अ)** में संबद्ध दर्शाये गये हें, उनको बेस डिपो से किए गये परिवहन कार्य का भुगतान उनकी **परिशिष्ट-तीन-(अ)** में उल्लेखित दूरी के आधार पर किया जायेगा । जो स्थान **परिशिष्ट-तीन-(अ)** में बेस डिपो से संबद्ध नहीं दर्शाये गये हें, उनके लिए किए गये परिवहन कार्य का भुगतान स्वीकृत दर पर, उस दूरी के आधार पर किया जायेगा, जो कार्यपालन यंत्री / अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अथवा प्रबंध संचालक द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र (न्यूनतम मार्ग) के अनुसार न्यूनतम आधार पर मान्य की जायेगी । परिवहनकर्ता इस तथ्य से भली भांति अवगत हो लेवें कि कार्पोरेशन द्वारा सभी लीडस की दरें आहूत की गई हैं और **परिशिष्ट-तीन(अ)** में बेस डिपो से संबद्ध वितरण केन्द्रों को दर्शाया गया है जो परिवहनकर्ता के सुविधा/ज्ञान हेतु उपलब्ध है । कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह दी गई लीडस में किसी भी स्थान/ केन्द्र/लीड/लिंक सोसायटी के गोदाम / या ऐसे निर्दिष्ट स्थान जहां जिला प्रबंधक / कार्पोरेशन का प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिवहनकर्ता को निर्देशित मात्रा का खाद्यान्न / शक्कर आदि समायावधि में परिवहन करना होगा, चाहे उक्त ऐसे स्थान किसी भी राजस्व जिले / संभाग / प्रदेश के बाहर प्रांतो, अन्य प्रांतों से प्रदेश के किसी क्षेत्र में आते हों । कार्पोरेशन को यह अधिकार भी है कि यह व्यवसायिक / प्रशासकीय / या ऐसे कारण जिन्हें उपयुक्त मानता है, के कारण किसी भी बेस डिपो से किसी भी केन्द्र को अनुबंध अवधि में किसी भी समय संबद्ध /हटाया/ परिवर्तित कर सकेगा । इस हेतु दूरी / दर / अन्य प्रभावित करने वाले कारकों में शिथिलता / देने या नहीं देने का अधिकार कार्पोरेशन को होगा । कार्पोरेशन प्रबंधक वितरण केन्द्रो / जमा केन्द्रों / संग्रहण स्थान/ लीड / लिंक स्थानों पर न्यूनतम दर पर परिवहन कराने हेतु स्वतंत्र होगा । चाहे वह केन्द्र अन्य बेस डिपो से दूरी के मान से निकटतम ही क्यों न हो । बेस डिपो से संबद्ध वितरण केन्द्र / केन्द्रों के लिए **परिशिष्ट-तीन-(अ)** में वर्णित दूरी में संविदा की अवधि में यदि युक्ति युक्त कारणों से कोई संशोधन करना अपरिहार्य / आवश्यक होने पर इस संबंध में प्रबंध संचालक अथवा सक्षम अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

11.4 यदि किसी स्थान या गंतव्य तक पहुँचाने के दो मार्ग हैं और दोनों मार्गो की दूरिया भिन्न भिन्न हैं तो कम दूरी वाले मार्ग के हिसाब से भुगतान किया जावेगा । किसी कारण कम दूरी वाला मार्ग परिवहन हेतु अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में यदि परिवहनकर्ता को अन्य वैकल्पिक मार्ग से परिवहन करना पडे तो उसे वैकल्पिक मार्ग से परिवहन की पूर्व स्वीकृति कार्पोरेशन के मुख्यालय से प्राप्त करनी होगी तथा परिवर्तित वैकल्पिक मार्ग की दूरी का निर्धारण न्यूनतम मार्ग से किया जाएगा ।

11.5 समस्त स्थानीय बेस डिपो / गोदाम जो नगर पालिका निगम/नगर पालिका/विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा से आठ किलोमीटर बाहर तक होंगे, का स्वीकृत दर से ही भुगतान किया जाएगा। स्थानीय गोदाम बदलने की स्थति में भी स्वीकृत दरों से ही भुगतान किया जावेगा जो परिवहनकर्ता को मान्य व बंधनकारी होगा ।

11.6 भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में कार्पोरेशन द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा ।

परिशिष्ट - दो

12. परिवहनकर्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

12.1 परिवहनकर्ता जिला प्रबंधक से प्रति सप्ताह अथवा इससे कम अवधि के लिए ऐसे परिवहन कार्यक्रम प्राप्त करेंगे जिसमें स्थानवार मात्रा दर्शायी गई हो । यदि परिवहनकर्ता स्वतः परिवहन कार्यक्रम प्राप्त नहीं करता है तो जिला प्रबंधक परिवहनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंध को परिवहन कार्यक्रम प्रदान करेगा। यदि जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये कार्यक्रम की तामीली इनमें से किसी पर भी कराना संभव नहीं हो, तो यह उक्त तामीली संबंधित परिवहनकर्ता के घोषित कार्यालय भवन पर दो साक्षियों के समक्ष चिपकाकर की जा सकेगी। परिवहन कार्यक्रम का कियान्वयन प्रतिवेदन निर्धारित पत्रक इ.आर. पर प्रत्येक बिल के साथ परिवहनकर्ता को संलग्न करना होगा । इस पत्रक ई. आर. में ऐसी व्यवस्था रहेगी, जिससे विलंबित परिवहन के दिनों की गणना स्वमेव हो सकेगी और परिवहनकर्ता का रिकर्ड स्वमेव निर्मित होता जायेगा, साथ ही इसके आधार पर ही जिला प्रबंधक द्वारा विलंबित दिनों के लिये निर्धारित कटौत्रा किया जायेगा ।

ऐसी अपवादित स्थिति जिसमें मानवीय नियंत्रण की हर संभव स्थिति के उपरान्त परिवहनकर्ता के इस कंडिका बावत युक्तिसंगत लिखित आवेदन पर, तथ्यों व समुचित प्रमाणन उपरांत, अधिकतम माह समाप्ति के 15 दिवस के अंदर जिला प्रबंधक मार्फत मुख्यालय प्रतिवेदन अभिमत सहित अग्रेषित करना होगा, जिस पर मुख्यालय में प्रतिवदेन प्राप्ति के एक माह की अवधि में अंतिम निर्णय लिया जायेगा जो परिवहनकर्ता को स्वीकार व बंधनकारी होगा ।

12.2 परिवहनकर्ता प्राप्त परिवहन कार्यक्रम के अनुरूप अच्छी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में ट्रक उपलब्ध करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगें कि ट्रकों की पहली खेप विभिन्न बेस डिपो / गोदामों पर जैसा कि जिला प्रबंधक द्वारा दर्शाया गया हो, प्रतिदिन प्रातः तैयार रखें । कुछ विशेष प्रकरणों में परिवहनकर्ता को अल्प सूचना में भी खाद्य पदार्थ / शक्कर / दलहन / नमक /तेल आदि परिवहन करने का प्रबंध करने के लिये कहा जा सकेगा तथा परिवहनकर्ता ऐसे अनुरोध का पालन करनें के लिये बाध्य होंगे । जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये कार्यक्रम में उल्लेखित गंतव्य स्थानों तक उल्लेखित मात्रा को परिवर्तित किया जा सकेगा तथा परिवहनकर्ता कार्यक्रम में गंतव्य स्थान में परिवर्तन तथा उल्लेखित मात्रा को बढानें या घटाने की स्थिति में आवश्यक मात्रा को भारी माल वाहन द्वारा परिवहन करने के लिये बाध्य होंगे तथा परिवहनकर्ता उनको जारी किसी कार्य में निर्धारित मात्रा में वांछित वस्तु परिवहन हेतु नहीं सौंपने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा ।

12.3 विशेष परिस्थितियों में भारतीय खाद्य निगम उनको रेल्वे रैक से प्राप्त खाद्यान्न की डिलेवरी यदि इस निगम को रेल्वे प्लेटफार्म से देने में सहमति देता है तो जिला प्रबंधक के आदेशानुसार परिवहनकर्ता ऐसे खाद्यान्न को रेल्वे रैक (प्लेट फार्म) से उठाने के लिए बाध्य होगा । ऐसे प्राप्त खाद्यान्न को अन्य केन्द्रों के परिवहन करने हेतु भी सीधे रेल्वे स्टेशन / तौल कांटे से अनुबंधित परिवहनकर्ता बाध्य होगा । रेल्वे स्टेशन से स्थानीय संग्रहण केन्द्र को किए गए परिवहन को स्थानीय परिवहन ही माना जाकर, स्वीकृत दर से ही भुगतान किया जावेगा । जिला प्रबंधक ऐसे प्राप्त खाद्यान्न को रेलवे स्टेशन से सीधे लीड सोसाईटियों / जेल / अस्पताल / उ.मू.दु. को रिलीज आर्डर के विरूद्ध डिलेव्हरी दिए जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा । इसमें परिवहनकर्ता की आपत्ति मान्य नहीं होगी । इस प्रकार के कार्यो में जहां जो तौल की विधि होगी उसी अनुसार परिवहनकर्ता प्राप्ति स्वीकार करेगा ।

12.4 परिवहनकर्ता को गोदाम / किसी अन्य बेस डिपो / वितरण केन्द्र / केन्दों या किसी अन्य स्थानों / उचित मूल्य दुकान पर ट्रक रोक रखने के लिये कोई क्षतिपूर्ति तब तक स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक कि उनका रोका जाना असाधारण प्रकार का न हो, तथा ऐसे समस्त मामलों में क्षतिपूर्ति स्वीकार्यता एवं राशि दोनों के संबंध में, कार्पोरेशन का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

12.5 परिवहनकर्ता वस्तुओं की सुरक्षा के लिये उनके वाहनों में लादे जाने के समय से गंतव्य स्थान से गोदाम में ट्रक से उनके नहीं उतारे जाने तक उत्तरदायी होगा । वे ट्रक में लादने से पहले उनमें नीचे तिरपालों का प्रावधान करेंगे तथा लदान पूरी होने के बाद सामान को तिरपाल से ढक देंगे ताकि ट्रकों में छेदों से धूप, वर्षा और मौसम की स्थिति से खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि की हानि या क्षति को रोका जा सके । उनके द्वारा प्राप्त किये गये एवं उनके ट्रकों पर लादे गए खाद्य पदार्थ /शक्कर आदि की वजन एवं बोरों की संख्या के अनुसार सौंपेगे तथा परिवहन के दौरान हुए नुकसान, कमी या क्षति की हानि को पूरा करेंगे ।

परिशिष्ट - दो

ट्रक या किसी अन्य वाहन में से लादे गए / उतारे गए खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि के बोरों का शत प्रतिशत वजन आंका जायेगा । भारतीय खाद्य निगम / केन्द्रीय भण्डार गृह निगम / राज्य भण्डार गृह निगम के या अन्य किसी गोदाम से परिवहनकर्ता को खाद्यान्न / शक्कर को बोरों की परिवहन हेतु सुपुर्दगी बीम स्केल अथवा वे-बिज अथवा प्लेटफार्म तुला से तौलने के बाद दी जायेगी और यदि तौल पटल से खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि तौल कर माल की सुपुर्दगी की जाए तो उसे भी शत- प्रतिशत तौल माना जायेगा । परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि बेस डिपो / वितरण केन्द्रों आदि पर वजन की जांच के समय उपस्थित रहेंगे । प्रेषण स्थान पर तथा गंतव्य स्थल पर वे ब्रिज या बीम स्केल पर जहां तौल की जो विधि हो, तौल कराई जायेगी । तौल की विधि में अंतर के कारण किसी प्रकार की स्कंध कमी में छूट नहीं दी जायेगी । स्कंध कमी की वसूली परिवहनकर्ता के बिल में से की जायेगी। प्रेषित स्थल पर यथा संभव धर्मकांटा से तौल कर स्कंध प्रेषित की जाएगी लेकिन प्राप्ति स्थल पर हाथ कांटा से भी तौल कर जमा कराया जा सकता है।

12.6 कार्पोरेशन को वस्तुऐं सौपने में वाहनों के खराब होने या किन्ही अन्य प्राधिकारियों द्वारा किन्हीं नियमों या विनियमों का परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने पर रोके जाने के कारण हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप हुई हानि / क्षति के लिये परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा । प्राधिकारियों द्वारा जप्त किये गये वाहनों का माल गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा ।

12.7 परिवहनकर्ता उन वाहनों में जिनमें कार्पोरेशन का खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि लादा गया है, किन्हीं अन्य वस्तुओं की लदाई नहीं करेगा ।

12.7.1 खाद्यान्न/गेहूं/धान/खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि जिस भरती के जूट/एचडीपीई/कपड़ा बोरों में पैक होगी, जैसे- 100, 75, 50, 35, 25 किलो या स्टेंडर्ड पैक बोरे आदि उसी में परिवहनकर्ता को परिवहन करना होगा, किन्तु भुगतान प्रति मे0टन की स्वीकृति दरों पर ही किया जायेगा ।

12.7.2 खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि की परिवहन दरें उनके शुद्ध प्राप्त वजन के आधार पर निर्धारित होगी।

12.7.3 बोरों के वजन के लिये अलग से किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा । उनका पारिश्रमिक खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि के शुद्ध वजन के परिवहन की दर में ही सम्मिलित माना जायेगा ।

12.7.4 गोदाम / मंडियों एवं अन्य लदाई / उतराई के केन्द्र / केन्द्रों पर भारी माल वाहनों में से लादे / उतारे गये खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि के बोरों का वजन शत प्रतिशत वजन के आधार पर किया जायेगा । वजन की जांच के समय परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे ।

12.8 यदि किसी पूर्ति केन्द्र से बेस डिपो / केन्द्र पर कार्पोरेशन / संबंधित भंडार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक माल वापिस लाना पडा तो संबंधित बेस डिपो से संबंधित केन्द्र की निश्चित परिवहन दरों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा ।

12.9 कर, ईधन एवं श्रमिक आदि की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

12.10 सदी, गर्मी, वर्षा के मौसम में संविदा की अवधि में स्वीकृत दरों से ही भुगतान किया जायेगा ।

12.11 परिवहनकर्ता को प्रेषित स्कंध की डिलेव्हरी अधिकतम पांच दिवस में ही गंतव्य केन्द्र पर पहुंचाना है और यदि बिना पर्याप्त दस्तावेजिक प्रमाणों के स्कंध की सुपुर्दगी में विलंब पाया जाता है तो परिवहनकर्ता पर अधिकतम तीन दिवस तक प्रतिदिन रू. 1000.00 प्रति ट्रक या वास्तविक बाजार किराया पेनाल्टी वसूल की जाएगी। तदोपरांत भी स्कंध नहीं पहुंचाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

12.12 नियुक्त परिवहनकर्ता को शासन / निगम द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत निर्णय / नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट - दो

13. कार्पोरेशन को हुई हानि आदि के लिये परिवहनकर्ता के उत्तरदायित्व एवं देयताऐं :-

13.1 शक्कर, चावल, गेहूं, नमक आदि में आई परिवहन कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। अर्थात कमी मात्रा का अधिक प्राप्त मात्रा से कोई समायोजन नहीं किया जायेगा। शक्कर में आई परिवहन कमी हेतु उपभोक्ता मूल्य से दो गुना, गेहूं में आई परिवहन कमी हेतु 20.00 रू. प्रति किलो की दर से, चावल में आई परिवहन कमी हेतु रू. 30.00 प्रति किलो की दर से एवं नमक में आई कमी हेतु रू. 5.00 प्रति किलो की दर से एवं अन्य अनियंत्रित वस्तुओं के लिए प्रचलित बाजार भाव से रू. 3.00 प्रति किलो अधिक की दर से परिवहनकर्ता के बिल से वसूल की जायेगी, तथा यूनिट में कमी होने पर रू0 30.00 बारदाना प्रति यूनिट की दर से बारदाना मूल्य की वसूली की जायेगी ।

13.2 यदि परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में परिवहन / वितरण नहीं करने के फलस्वरूप कार्पोरेशन को कोई संग्रहण प्रभार या भावांतर किसी को देना पड़ता है तो उसे परिवहनकर्ता के बिल से काटा जायेगा ।

13.3 यदि किसी स्थान पर परिवहनकर्ता द्वारा लदाई, उतराई आदि का भुगतान नहीं किया जाता और कार्पोरेशन को लदाई, उतराई प्रभार का भुगतान करना पड़ता है तो कार्पोरेशन द्वारा किये गये भुगतान से **तीन गुना अधिक** राशि उसके बिल में से काटी जायेगी ।

13.4 परिवहन के माल की सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता को ट्रक चालान और तौल पत्रक दिए जायेंगे । परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित गंतव्य स्थान / प्राप्ति केन्द्र पर उसी के अनुसार सौंपी गई गुणवत्ता का खाद्यान्न / शक्कर आदि की सुपुर्दगी देनी होगी । गंतव्य स्थान पर सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता प्रचलित विधि के अनुसार माल की तौल करायेगा तथा प्रेषण स्थान से दिये गये ट्रक चालान / दस्तावेजों पर प्राप्ति की तथा सुपुर्द किये गये माल की मात्रा की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा । यदि परिवहनकर्ता निर्धारित केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्र पर सुपुर्दगी देता है तो उसके लिये इस प्रकार के गलत कृत्य के लिये भारी माल वाहनों के परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा और प्रबंध संचालक के आदेशानुसार शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी ।

परिवहनकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण कार्पोरेशन को हुई किसी क्षति, हानि अथवा कार्पोरेशन द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्च के दावे की कुल राशि कार्पोरेशन द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी, जो कार्पोरेशन के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा किसी अनुबंध के अधीन उस समय अथवा इसके बाद किसी भी समय परिवहनकर्ता को देय होगी । यदि कार्पोरेशन द्वारा परिवहनकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पडती है, तो दावा की गई और परिवहनकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि परिवहनकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति जमा में से काट ली जायेगी। यदि कार्पोरेशन द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये यह राशि अपर्याप्त रहती है, तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग कार्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर परिवहनकर्ता को यह अदा करना होगा अन्यथा कार्पोरेशन कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के उक्त राशि वसूल कर सकेगा ।

13.5 कार्पोरेशन के खाद्य पदार्थ / शक्कर आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुँचाने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा । मार्ग में चोरी / दंगा / लूट / दुर्घटना एवं अन्य दुर्घटना के परिणामस्वरूप माल को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा होने वाली कमी का दायित्व भी परिवहनकर्ता पर होगा तथापि देवी प्रकोप अथवा ऐसी कोई परिस्थिति - जो कि परिवहनकर्ता की शक्ति से परे हो, ऐसे में निर्णय लेने का अधिकार कार्पोरेशन को होगा, जो अंतिम एवं परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा ।

13.6 निविदाकार की घोषित चल एवं अचल संपत्ति उस स्थिति में दायित्व के दायरे में रहेगी जबकि अन्य समस्त मदों से वसूली उपरांत भी कोई रकम परिवहनकर्ता से वसूली योग्य शेष रह जावेगी ।

परिशिष्ट - दो

13.7 **परिवहनकर्ता को सौंपे गये निर्धारित मात्रा अनुसार एवं समान गुणवत्ता का गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाना आवश्यक है । स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी भी तरह की यदि हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो** *gkfu dh olwyh grq gj lEHko oS/kkfud dk;Zokgh dh tk,xhA lkFk gh* **परिवहनकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन को राजसात करा दिया जावेगा एवं परिवहनकर्ता की चल-अचल संपत्ति से भरपाई के लिए निगम स्वतंत्र रहेगा** *,oa Hkw&jktLo lafgrk vUrxZr olwyh dh dk;Zokgh dh tk,xhA*

अमानत में खयानत करने पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार परिवहनकर्ता के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कर ऐसे परिवहनकर्ता को इस निगम एवं राज्य शासन / केन्द्र शासन के निगमों में भी कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दस वर्ष के लिए काली सूची में डाली जावेगी । इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी निगम द्वारा कराया जावेगा ।

14. विवादों का निराकरण :-

14.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन के समय अथवा उसके पश्चात उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी भी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीर्टेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा । यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज् कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय / एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा ।

14.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कौन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी ओर ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा ।

15. व्यवहार एवं आचरण :-

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी / श्रमिक कार्पोरेशन के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सामन्जस्य स्थापित कर विवेक रखते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों / अधिकारियों की निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों से झगडालू दबाव की मनोवृत्ति / प्रवृत्ति अथवा अभद्र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर निगम के जिला प्रबंधक / संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पर निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दें एवं उसके इस प्रकार के कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसियत से भाग से वंचित कर दें एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करें ।

परिशिष्ट - तीन (अ)

// खाद्य पदार्थो / शक्कर के बेस डिपो एवं उनसे संबद्ध केन्द्रों की सूची //

श्रेणी-ए

क्रमांक	बेस डिपो/ संग्रहण केन्द्र	संबद्ध वितरण केन्द्र एवं उनकी बेस डिपो / संग्रहण केन्द्र से दूरी
1	2	3
01	**रायपुर**	रायपुर स्थानीय, कसडोल -111, नेवरा-57 , बलौदाबाजार-84, भाटापारा-81, गरियाबंद-90, देवभोग-217, नयापारा-राजिम-42, आरंग-36, अभनपुर-28, खरोरा-38, बिलाईगढ़-145, धरसींवा-20, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मैनपुर
02	**धमतरी**	धमतरी स्थानीय कुरूद-24, सिहावा-68, कांकेर- 61, जगदलपुर-223 गीदम-297, दंतेवाडा-308, सुकमा-327, कोंटा-401, भोपालपट्टनम-454, बीजापुर-378
03	**महासमुन्द**	महासमुन्द स्थानीय, बसना -96, गरियाबंद -68.4, राजिम -39, बागबहरा -34, सरायपाली-123 पिथौरा -56, जगदलपुर, दंतेवाड़ा
04	**दुर्ग**	दुर्ग स्थानीय बालोद-58, बेमेतरा-76, डोंडीलोहारा-76, साजा-62, डोंडी-94, हथखोज, बोरई, गुण्डरदेही, पाटन, धमधा
05	**कांकेर**	कांकेर स्थानीय, भानुप्रतापपुर-55, हलबा-54, पखांजूर-124, चारामा-30, आमाबेड़ा-76, नरहरपुर-40, अंतागढ़-84, कोंडागांव, केशकाल
06	**बिलासपुर**	बिलासपुर स्थानीय जयरामनगर-27, मुंगेली-50, पेन्ड्रारोड-122, करगीरोड-30, पंडरिया-85, लोरमी-73 बिल्हा-22, मरवाही-167, तखतपुर-30
07	**रायगढ़ (लोहरसिंग)**	रायगढ़ स्थानीय, खरसिया-39, जशपुर-213, सारंगढ़-52, घरघोड़ा-35, धरमजयगढ-76, पत्थलगांव-110, बगीचा-190, कुनकुरी-171, बरमकेला-49, लैलूंगा-80, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी
08	**खरसिया**	खरसिया स्थानीय, पत्थलगांव-96, जशपुर-199, बगीचा-176, कुनकुरी-157, घरघोड़ा-45, धर्मजयगढ़-62, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी
09	**विश्रामपुर**	विश्रामपुर स्थानीय, अंबिकापुर-28, रामानुजगंज-138, मनेन्द्रगढ़-102, बैकुन्ठपुर-49, कुसमी-123, सीतापुर-90, चिरमिरी-93, जनकपुर -189.7, वाड्रफनगर -91, सूरजपुर-12,सनावल-158
10	**जगदलपुर**	जगदलपुर स्थानीय सुकमा -105, कांकेर -159, गीदम -75, भानुप्रतापपुर -205, हलबा -211, ओरछा -190, कोन्टा -183, भोपालपटनम -212, बीजापुर -159, कोण्डागांव -72, चारामा -187, मूंगापदर -76, माकड़ी - 127, मर्दापाल -102, बडेडोगर -122, नरहरपुर -199, करपावंड -40, दन्तेवाड़ा -86, श्यामपुर - 92, आमाबेड़ा -154, केशकाल -133, पखांजूर -257, नारायणपुर -124, अंतागढ़ -173,
11	*efnjg lkn*	स्थानीय, कसडोल, नेवरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, देवभोग, नयापारा राजिम, आरंग, अभनपुर, खरोरा, बिलाईगढ़, धरसींवा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर
12	*fpVkn*	स्थानीय कुरूद, सिहावा, कांकेर, जगदलपुर, गीदम, दंतेवाडा, सुकमा, कोंटा, भोपालपट्टनम, बीजापुर
13	*gFk[kkt*	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, डोंडीलोहारा, साजा, डोंडी, हथखोज, बोरई, गुण्डरदेही, पाटन, धमधा

परिशिष्ट - तीन (अ)

श्रेणी-बी

क्रमांक	बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र	संबद्ध वितरण केन्द्र एवं उनकी बेस डिपो
1	2	3
01	**राजिम**	राजिम स्थानीय, गरियाबंद, देवभोग
02	**अभनपुर**	अभनपुर स्थानीय, जगदलपुर, दंतेवाड़ा
03	**भाटापारा**	भाटापारा स्थानीय, बलौदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़
04	**नेवरा**	नेवरा स्थानीय, कवर्धा, पंडरिया, धरसींवा
05	**कुरूद**	कुरूद स्थानीय, सिहावा, कांकेर, जगदलपुर, बीजापुर, भोपालपट्टनम, दंतेवाड़ा, गीदम, कोंटा, सुकमा
06	**राजनांदगांव**	राजनांदगावं स्थानीय, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा, मोहला, मानपुर
07	**नैला-जांजगीर**	नैला स्थानीय, चांपा, अकलतरा, कोरबा(उरगा), डभरा, कटघोरा, शक्ति-, बाराद्वार
08	**अकलतरा**	अकलतरा स्थानीय, कोरबा, कटघोरा
09	**बागबाहरा**	बागबहरा स्थानीय, कसडोल, महासमुन्द, बसना, सरायपाली
10	**केशकाल**	केशकाल स्थानीय, आमाबेड़ा, श्यामपुर
11	**दंतेवाड़ा**	दंतेवाड़ा स्थानीय, गीदम, बीजापुर, भोपालपट्टनम, कोंटा, सुकमा, भैरमगढ़
12	**अंबिकापुर**	अंबिकापुर स्थानीय, सीतापुर, कुसमी, रामानुजगंज, सनावल
13	**सूरजपुर**	अंबिकापुर, रामानुजगंज, कुसमी, सीतापुर, वाड्रफनगर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर

श्रेणी-सी

क्रमांक	बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र	संबद्ध वितरण केन्द्र एवं उनकी बेस डिपो
1	2	3
1	**सिलतरा**	धरसींवा, नेवरा, आरंग
2	**बलौदाबाजार**	बलौदाबाजार स्थानीय, कसडोल, बिलाईगढ़
3	**कसडोल**	कसडोल स्थानीय, बिलाईगढ़
4	**गरियाबंद**	गरियाबंद स्थानीय, देवभोग
5	**आरंग**	आरंग स्थानीय
6	**खरोरा**	खरोरा स्थानीय
7	**सिहावा**	सिहावा स्थानीय
9	**बसना**	बसना स्थानीय
10	**पिथौरा**	पिथौरा स्थानीय
11	**सरायपाली**	सरायपाली स्थानीय
12	**बोरई**	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, डोंडीलोहारा, साजा, डोंडी, हथखोज
13	**चारामा**	चारामा, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर

परिशिष्ट - तीन (अ)

श्रेणी-सी

क्रमांक	बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र	संबद्ध वितरण केन्द्र एवं उनकी बेस डिपो
1	2	3
14	**बालोद**	बालोद स्थानीय, डोंडी, डोंडीलोहारा
15	**बेमेतरा**	बेमेतरा स्थानीय
16	**डोंगरगढ़**	डोंगरगढ़ स्थानीय
17	**मोहला**	मोहला स्थानीय
18	**कवर्धा**	कवर्धा स्थानीय, पंडरिया
19	**पंडरिया**	पंडरिया स्थानीय
20	**नारायणपुर**	नारायणपुर स्थानीय, ओरछा, कोण्डागांव, अंतागढ़,
21	**कोण्डागांव**	कोण्डागांव स्थानीय, श्यामपुर, माकड़ी
22	**भानुप्रतापपुर**	भानुप्रतापपुर स्थानीय, पखांजूर, अंतागढ़,
23	**सुकमा**	सुकमा स्थानीय, कोंटा, बीजापुर
24	**बीजापुर**	बीजापुर स्थानीय, भोपालपटनम
25	**करगीरोड**	करगीरोड स्थानीय
26	**मुंगेली**	मुंगेली स्थानीय
27	**पेन्ड्रारोड**	पेन्ड्रारोड स्थानीय
28	**बिल्हा**	बिल्हा स्थानीय
29	**जयरामनगर**	कोरबा, चांपा, नैला, डभरा
30	**लोरमी**	लोरमी स्थानीय
31	**तखतपुर**	तखतपुर स्थानीय
32	**सक्ति**	सक्ति स्थानीय, डभरा,
33	**कटघोरा**	कटघोरा स्थानीय, कोरबा
34	**कोरबा**	कोरबा स्थानीय, कटघोरा, पाली
35	**सारंगढ़**	सारंगढ़ स्थानीय, बरमकेला
36	**धर्मजयगढ़**	धर्मजयगढ़ स्थानीय, पत्थलगांव, जशपुर, बगीचा, कुनकुरी
37	**किरोड़ीमलनगर**	धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, सारंगढ़, बरमकेला
38	**जशपुर नगर**	जशपुर नगर स्थानीय, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव
39	**पत्थलगांव**	पत्थलगांव स्थानीय, जशपुर, बगीचा, कुनकुरी
40	**बैकुंठपुर**	चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, जनकपुर
41	**मनेन्द्रगढ़**	मनेन्द्रगढ़ स्थानीय

Vhi& ifjogu dk;l e ih-MCY;-Mh- ;k lo vkQ bfM;k l ikIr iek.k i= vk/kkj ij njh ykx gkxhA

परिशिष्ट - चार

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

निविदाकार अपना पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाऐं

प्रेषक,

.... (परिवहनकर्ता का नाम)
.... (एवं पूर्ण पता)
....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कापोरेशन लिमिटेड,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा उनके विभिन्न बेस डिपो / संग्रहण केन्द्रों से संबद्ध वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्न/शक्कर/बारदाना/नमक / खाद्य तेल आदि के लंबी दूरी के परिवहन कार्य सामान्य के लिए प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैनें निगम के मुख्यालय/ जिला कार्यालय में ....रसीद नंबर .... दिनांक............... को रूपये......................... जमाकर यह निविदा फार्म क्रय किया है । हमने / मैने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझा लिया तथा हम / मैने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ ।

2. हम/मैने बेस डिपो .... से संबद्ध वितरण केन्द्रों तक लंबी दूरी परिवहन कार्य के लिए संलग्न भाग (अ) अपनी /मेरी दरें भर रहे हैं / रहा हूँ । हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है -

(1)	अ) निविदाकार का नाम व पता	....
	ब) पिता का नाम	....
	स) नामांकित व्यक्ति का नाम व संबंध	....
(2)	दूरभाष क्रमांक कार्यालय / निवास / मोबाईल	....
(3)	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/कंपनी/ स्वामित्व/हिंदू अविभाजित परिवार)	....
(4)	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	....
(5)	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....
(6)	फर्म की स्थापना,पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
(7)	इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम), पैनकार्ड एवं निवासी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें ।	....
(8)	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें)	....
(9)	स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम/कितने भारी माल वाहन (पंजीयन की सत्यप्रतिलिपियां संलग्न करें)	....
	वाहन का पंजीयन क्रमाक	1) .... 2)......................... 3) .... 4)......................... 5)......................... 6).........................

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट - चार

(9)(अ)	स्वयं/फर्म/कंपनी के संपत्ति/परिसंपत्ति का विवरण		....
			....
			....
(10)	लंबी दूरी के परिवहन कार्य का वांछित अनुभव		....
	(प्रमाण पत्र संलग्न करें)		....
(11)	वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था		....
	में परिवहन कार्य कर रहे हैं, विवरण दें ।		....
(12)	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का		
	विवरण :	रू0 कुल	....
		बैंक ड्राफट नं0	....
		बैंक का नाम	....
			....
		दिनांक	....
(13)	इस वित्तीय वर्ष के लिए इस निगम की अगर		....
	किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो		....
	उसका विवरण ।		....
(14)	पूर्व वर्षों में अगर इस निगम का कोई कार्य		....
	किया हो तो उसका विवरण ।		....
(15)	मेरी/ हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि		....
	कार्पोरेशन परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की		....
	गई है । (हाँ ,तो विवरण दें)		....
(16)	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची		1. ....
			2. ....
			3. ....
			4. ....
			5. ....
			6. ....

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से एक सौ बीस दिन तक तथा **परिशिष्ट-दो** की कंडिका 4.3 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूँगा/रहूँगी।
4. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है ।

दिनांक	हस्ताक्षर	....
	नाम	....
	फर्म का नाम	....
	पूरा पता	....
	हैसियत	....
	मुहर	

नोटः इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट - चार भाग (अ)

// खाघ पदार्थ/शक्कर/नमक/दलहन/तिलहन/बारदkना/[kk| rsy इत्यादि की परिवहन कार्य की दरें //

&% fuxe ds xkknkeksa ¼,l-MCyw-lh-½ ls LdU/k ifjogu djus dh njsa %&

बेस डिपो का नाम .... **जिला का नाम ....**

स्थानीय कार्य की दर रूपये .... प्रति टन (शब्दों..)

(नोटः समस्त लीड्स की दरें प्रस्तुत करें)

दूरी के मान से दरें:-

दूरी किलोमीटर में	दर रूपये, प्रति मे0टन, प्रति किलो मीटर में	
	अंकों में	शब्दों में
1 से 25		
26 से 50		
51 से 75		
76 से 100		
101 से 125		
126 से 150		
151 से 175		
176 से 200		
201 से 225		
226 से 250		
251 से 275		
276 से 300		
301 से 325		
326 से 350		
351 से 375		
376 से 400		
401 से 425		
426 से 450		
451 से 475		
476 से 500		
501 से 525		
526 से अधिक		

उपरोक्तानुसार दरें मेरे / हमारे द्वारा भरी गई है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

निविदाकार का नाम ....

परिशिष्ट - चार भाग (c)

// खाद्य पदार्थ/शक्कर/नमक/दलहन/तिलहन/ इत्यादि की परिवहन कार्य की दरें //

&%,Q-lh-vkbZ-@lh-MCyw-lh- d xknkek l Ld/k ifjogu dju dh nj%&

बेस डिपो का नाम .... जिला का नाम ....

स्थानीय कार्य की दर रूपये .... प्रति टन (शब्दों...)

(नोटः समस्त लीड्स की दरें प्रस्तुत करें)

दूरी के मान से दरें:-

दूरी किलोमीटर में	दर रूपये, प्रति मे0टन, प्रति किलो मीटर में	
	अंकों में	शब्दों में
1 से 25		
26 से 50		
51 से 75		
76 से 100		
101 से 125		
126 से 150		
151 से 175		
176 से 200		
201 से 225		
226 से 250		
251 से 275		
276 से 300		
301 से 325		
326 से 350		
351 से 375		
376 से 400		
401 से 425		
426 से 450		
451 से 475		
476 से 500		
501 से 525		
526 से अधिक		

उपरोक्तानुसार दरें मेरे / हमारे द्वारा भरी गई है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

निविदाकार का नाम ....

परिशिष्ट - पांच

प्रथम परिवहनकर्ता हेतु

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ मेरे / हमारे द्वारा दिनांक .... को प्रबंध संचालक ,छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के बेस डिपो/संग्रहण केन्दों .... से संबद्ध वितरण केन्द्रों .... तक खाद्य पदार्थ / शक्कर / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना / खाद्य तेल आदि के लंबी दूरी के परिवहन कार्य सामान्य के लिये परिवहन की संविदा स्वीकृत करने के लिए सहमत हैं । अतः मैं / हम (यहाँ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स .... जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म / स्वामितव (प्रोपराइटरशिप फर्म/ कंपनी है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....एवं फर्म का पंजीकृत पता .... (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक .... को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूॅ / करते हैं कि मैनें / हमने खाद्य पदार्थ / शक्कर / नमक / बारदाना आदि के लंबी दूरी के परिवहन कार्य हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं । मैं/हम,मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक .... दिनांक .... में जो इस करार का एक भाग है, मैं / हम विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ /ले रहे हैं । मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ / देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी / हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा / करेंगे ।

यह करार दिनांक .... से .... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाए, लागू रहेगा ।

(संविदाकार) **वह हैसियत,जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है**	**कार्पोरेशन की ओर से** **अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**
साक्षीः-	**साक्षीः-**
(1) हस्ताक्षरः-	(1) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....
(2) हस्ताक्षरः-	(2) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....

परिशिष्ट - छः

द्वितीय परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मेरे / हमारे द्वारा दिनांक .... को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के बेस डिपो/संग्रहण केन्दों.......................... से संबद्ध वितरण केन्द्रों .... तक खाद्य पदार्थ / शक्कर / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना / खाद्य तेल आदि के लंबी दूरी के परिवहन कार्य सामान्य के लिये द्वितीय न्यूनतम दर वाले होने के नाते रिस्क एण्ड कास्ट आदि की दशा में परिवहन कार्य कराने के दृष्टिकोण से परिवहन की संविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत हैं । इस हेतु अमानत राशि उक्तानुसार जमा रखकर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध करता हूँ । रिस्क एण्ड कास्ट की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला प्रबंधक के निर्देशानुसार परिवहन कार्य समय पर किया जाएगा । अतः मैं / हम (यहाँ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स .... जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म / स्वामित्व (प्रोपराईटर) फर्म / कंपनी है और भागीदारी / स्वामी श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... एवं फर्म का पंजीकृन पता .... (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, इसमें सें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ रायपुर (जिसे इसमें, इसको आगे कार्पोशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक .... को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैने/हमने खाद्य पदार्थ/शक्कर/नमक आदि के लंबी दूरी के परिवहन कार्य हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ / करते हैं । मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक..................... दिनांक .... में जो इस करार का एक भाग है, में विनिर्दिष्ट की गइ दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त् कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ले रहे हैं । मैं/ हम उक्त निगम को यह आश्वासन देता हूँ / देते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी / हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा / करेंगे ।

यह करार दिनांक .... से .... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाए, लागू रहेगा ।

(संविदाकार) **वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है**	**कार्पोरेशन की ओर से** **अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**
साक्षीः-	**साक्षीः-**
(1) हस्ताक्षरः-	(1) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
....	....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....
(2) हस्ताक्षरः-	(2) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
....	....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....

(निविदा दस्तावेज की संबंधित कंडिका अनुसार)

// परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किये जाने वाले परिवहन कार्य का क्रियान्वयन पत्रक //

क्रियान्वयन पत्रक ई0 आर0 पत्रक

परिवहनकर्ता का नाम . . . . परिवहन अनुबंध दिनांक . . . . वर्ष . . . .

परिवहन का प्रकार - एल.आर.टी. सामान्य											
परिवहनकर्ता को प्राप्त आदेश एवं क्रियान्वयन का विवरण											
क्रं.	जिला प्रबंधक द्वारा जारी आदेश क्रमांक	दिनांक	परिवहन कर्ता को आदेश कब कब प्राप्त हुए	आदेशानुसार अंतिम तिथि	आदेशित अंतिम तिथि तक परिवहन की मात्रा		आदेश अनुसार मात्रा की परिवहन की वास्तविक अंतिम तिथि अर्थात जब परिवहन वास्तव में पूर्ण हुआ	परिवहन में विलंब के दिवस (अंतिम डिलेव्हरी मात्रा को अंतिम दिवस माना जाएगा)	विलंबर अवधि का कारण यदि हो ।	जिला प्रबंधक द्वारा टेंडर की परिशिष्ट कर दो की संबंधित कंडिका के आधार पर प्रत्यारोपित पेनाल्टी
					मात्रा	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-5)	10	11

जिला कार्यालय

सहायक लेखाधिकारी जांच / टीप
जिला प्रबंधक आदेश / निर्णय

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता
नाम :- . . . .
सील

ifjf'k"V&lkr

<u>*¼10@&:i, d T;fMf'k;y LVkEi iij ij½*</u>

<u>*?kks"k.kk & i=*</u>

मैं .... वल्द ....उम्र ....वर्ष, पता ....एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

1. यह कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय .... बेस डिपो .... में एल.आर.टी./एच. एण्ड टी./द्वार प्रदाय हेतु वर्ष .... में परिवहनकर्ता रहा हूँ।

2. यह कि मेरी कार्यावधि ....से .... तक रही।

3. यह कि मेरे द्वारा निगम के निर्देश अनुसार परिवहन कार्य सुचारू रूप से संपादित किया गया एवं मेरे परिवहन कार्यकाल का कोई विवाद लंबित नहीं है।

4. यह कि निगम द्वारा मुझे सौंपी गई समस्त सामाग्रियों का परिवहन नियमानुसार किया गया है एवं परिवहन संबंधी समस्त चालानों/पावतियों को निगम कार्यालय में जमा कर परिवहन देयक प्रस्तुत कर नियमानुसार भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। यदि भविष्य में मुझ पर निगम की ओर से अन्य कोई लेनदारी निकलती है तो उसे मैं जमा करने हेतु बाध्य रहूंगा।

5. यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा उल्लेखित कार्य अवधि का अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करता हूं।

हस्ताक्षर ....
परिवहनकर्ता का नाम व पता ....
सील